Vol. 268
No.19

Tuesday,
19th August, 2025
28 Sravana, 1947 (Saka)

PARLIAMENTARY DEBATES

RAJYA SABHA

OFFICIAL REPORT (FLOOR VERSION)

(PART-II)

CONTENTS

Papers Laid on the Table (pages 1 - 8)

Reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Communications and Information Technology - *Laid on the Table* (pages 8 - 9)

Reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Finance- *Laid on the Table* (page 9)

Report of The Joint Committee on Offices of Profit- *Laid on the Table* (page 9)

Reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Rural Development and Panchayati Raj- *Laid on the Table* (page 10)

Statement of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Rural Development and Panchayati Raj- Laid on the Table (page 10)

Statement by Ministers-

Status of implementation of the recommendations/Observations contained in the fifth and Seventh Reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Consumer Affairs, Food and Public Distribution- Laid on the Table (pages 10 – 11)

©

RAJYA SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

Status of implementation of the recommendations/Observations contained in the fifth Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Agriculture, Animal Husbandry and Food Processing- Laid on the Table (page 11)

Status of implementation of the recommendations/Observations contained in the first report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Housing and Urban Affairs-Laid on the Table (pages 11 - 12)

Matter raised with Permission-

Demand for night landing of flights at Silchar airport (page 12)

Observation by the Chair (page 13)

Government Bill- *Passed*

The Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2025- (pages 13 - 19, pages 21 - 25, pages 25 - 60 and page 61)

Regarding issues raised with regard to Rules 258, 261,187 and 67 (pages 19 - 21)

Statement by Minister Correcting answer to Question (pages 25)

Message from Lok Sabha-

Reported and Government Bill laid on the Table The Indian Institutes of Management (Amendment) Bill, 2025 (page 60)

[Answers to Starred and Un-starred Questions (Both in English and Hindi) are available as Part -I to this Debate, published electronically on the Rajya Sabha website under the link https://sansad.in/rs/debates/officials]

Website: http://rajyasabha.nic.in
https://sansad.in/rs
E-mail: rsedit-e@sansad.nic.in

RAJYA SABHA

Tuesday, the 19th August, 2025/28 Sravana, 1947 (Saka)

The House met at eleven of the clock,
MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair.*

PAPERS LAID ON THE TABLE

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Papers to be laid on the Table.

Notifications of the Ministry of Health and Family Welfare

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतापराव जाधव): महोदय, मैं खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 93 के अंतर्गत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की निम्नलिखित अधिसूचनाओं तथा संशोधित विनियमों के उद्धरण की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिंदी में) सभा पटल पर रखता हूँः-

(1) F. No. STD/SP-20/T(Recycledplastics-N)., dated the 28th March, 2025, publishing the Food Safety and Standards (Packaging) First Amendment Regulations, 2025.

(2) F. No. STD/SP-21/T(Alcohol-6)., dated the 23rd June, 2025, publishing the Food Safety and Standards (Alcoholic Beverages) First Amendment Regulations, 2025.

(3) F. No. STD/43-FA-Notifications/2024., dated the 14th July, 2025, publishing the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) First Amendment Regulations, 2025.

[Placed in Library. For (1) to (3), See No. L. T. 4093/18/25]

Notification of the Ministry of Commerce and Industry

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING; AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. L. MURUGAN): Sir, on behalf of my colleague, Shri Jitin Prasada, I lay on the Table—

Contents Page

(i) A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Commerce and Industry (Department for Promotion of Industry and Internal Trade), issued under Section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016: -

(1) S.O. 4958(E)., dated the 19th November, 2024, publishing the Electric Fence Energizers (Quality Control) Order, 2024, along with delay statement.

(2) S.O. 5358(E)., dated the 11th December, 2024, publishing the Laboratory Glassware (Quality Control) Amendment Order, 2024, along with delay statement.

[Placed in Library. For (1) and (2), See No.L.T.5038/18/25]

(3) S.O. 1368(E)., dated the 24th March, 2025, publishing the Hinges (Quality Control) Order, 2025.

(4) S.O. 2232(E)., dated the 19th May, 2025, publishing the Safety of Household, Commercial and Similar Electrical Appliances (Quality Control) Order, 2025.

(5) S.O. 3385(E)., dated the 24th July, 2025, publishing the Hand Tools (Quality Control) Order, 2025.

[Placed in Library. For (3) to (5), See No.L.T.4016/18/25]

(ii) A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Commerce and Industry (Department for Promotion of Industry and Internal Trade) Notification No. S.O. 1815(E)., dated the 22nd April, 2025, publishing the Air Conditioner and its related Parts, Hermetic Compressor and Temperature Sensing Controls (Quality Control) Amendment Order, 2025, issued under Section 16 and sub-section (3) of Section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016.

[Placed in Library. See No.L.T.4016/18/25]

(iii) A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Commerce and Industry (Department for Promotion of Industry and Internal Trade), issued under Section 16, Section 17 and sub-section (3) of Section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016: -

(1) S.O. 2021(E)., dated the 6th May, 2025, publishing the Aluminium and Aluminium Alloy Products (Quality Control) Order, 2025.

(2) S.O. 2283(E)., dated the 21st May, 2025, publishing the Electrical Appliances for Commercial Dispensing and Vending (Quality Control) Order, 2025.

[Placed in Library. For (1) and (2), See No.L.T.4016/18/25]

Contents Page

(iv) A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Commerce and Industry (Department for Promotion of Industry and Internal Trade), issued under clause (a) of sub-section (1) of Section 6 of the Explosives Act, 1884: -

(1) S.O. 1563(E)., dated the 2nd April, 2025, prohibiting the manufacture, possession and import of the electric detonator (explosive of Class 6 Division 3 or UN Class 1 Division 1) throughout the country with effect from 01.07.2025.

(2) S.O. 2920(E)., dated the 1st July, 2025, prohibiting the manufacture, possession and import of the electric detonator (explosive of Class 6 Division 3 or UN Class 1 Division 1) throughout the country with effect from 01.07.2025, except for usage of Permitted Delay Detonators in coal mines and suitable detonators for oil well logging operations till 30.09.2025.

[Placed in Library. For (1) and (2), See No.L.T.4015/18/25]

(v) A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Commerce and Industry (Department for Promotion of Industry and Internal Trade), under sub-section (8) of Section 18 of the Explosives Act, 1884: -

(1) G.S.R. 225(E)., dated the 11th April, 2025, publishing the Gas Cylinders (Amendment) Rules, 2025.

(2) G.S.R. 239(E)., dated the 17th April, 2025, publishing the Ammonium Nitrate (Amendment) Rules, 2025.

(3) G.S.R. 283(E)., dated the 1st May, 2025, publishing the Static and Mobile Pressure Vessels (Unfired) Amendment Rules, 2025.

(4) G.S.R. 284(E)., dated the 1st May, 2025, publishing the Explosives (Amendment) Rules, 2025.

(5) G.S.R. 374(E)., dated the 6th June, 2025, publishing the Static and Mobile Pressure Vessels (Unfired) (Amendment) Rules, 2025.

(6) G.S.R. 377(E)., dated the 9th June, 2025, publishing the Ammonium Nitrate (Amendment) Rules, 2025.

(7) G.S.R. 386(E)., dated the 16th June, 2025, publishing the Gas Cylinders (Amendment) Rules, 2025.

(8) G.S.R. 422(E)., dated the 27th June, 2025, publishing the Static and Mobile Pressure Vessels (Unfired) (Amendment) Rules, 2025.

Contents Page

(9) G.S.R. 501(E)., dated the 28th July, 2025, publishing the Gas Cylinders (Third Amendment) Rules, 2025.

[Placed in Library. For (1) to (9), See No.L.T.4014/18/25]

(vi) A copy each (in English and Hindi) of the following papers:-

(a) Annual Report and Accounts of the National Institute of Design (NID), Andhra Pradesh, for the year 2023-24, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Institute.

(c) Statement giving reasons for delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. See No.L.T.5039/18/25]

Notifications of the Ministry of Finance

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

(i) A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Finance (Department of Financial Services), under sub-section (4) of Section 23A of the Regional Rural Banks Act, 1976:-

(1) S.O. 1625(E)., dated the 7th April, 2025, notifying the amalgamation of Chaitanya Godavari Grameena Bank, Andhra PragathiGrameena Bank, SaptagiriGrameena Bank and Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank as Andhra Pradesh Grameena Bank.

(2) S.O. 1626(E)., dated the 7th April, 2025, notifying the amalgamation of Dakshin Bihar Gramin Bank and Uttar Bihar Gramin Bank as Bihar Gramin Bank.

(3) S.O. 1627(E)., dated the 7th April, 2025, notifying the amalgamation of Baroda Gujarat Gramin Bank and Saurashtra Gramin Bank as Gujarat Gramin Bank.

(4) S.O. 1628(E)., dated the 7th April, 2025, notifying the amalgamation of J & K Grameen Bank and EllaquaiDehati Bank as Jammu and Kashmir Grameen Bank.

(5) S.O. 1629(E)., dated the 7th April, 2025, notifying the amalgamation of Karnataka Vikas Grameena Bank and Karnataka Gramin Bank as Karnataka Grameena Bank.

[Placed in Library. For (1) to (5), See No.L.T.4056/18/25]

Contents Page

(6) S.O. 1630(E)., dated the 7th April, 2025, notifying the amalgamation of Madhya Pradesh Gramin Bank and Madhyanchal Gramin Bank as Madhya Pradesh Gramin Bank.

(7) S.O. 1631(E)., dated the 7th April, 2025, notifying the amalgamation of Maharashtra Gramin Bank and Vidarbha Konkan Gramin Bank as Maharashtra Gramin Bank.

(8) S.O. 1632(E)., dated the 7th April, 2025, notifying the amalgamation of Odisha Gramya Bank and Utkal Grameen Bank as Odisha Grameen Bank.

(9) S.O. 1633(E)., dated the 7th April, 2025, notifying the amalgamation of Rajasthan MarudharaGramin Bank and Baroda Rajasthan KshetriyaGramin Bank as Rajasthan Gramin Bank.

(10) S.O. 1634(E)., dated the 7th April, 2025, notifying the amalgamation of Baroda U.P. Bank, Aryavart Bank and Prathama U.P.Gramin Bank as Uttar Pradesh Gramin Bank.

(11) S.O. 1635(E)., dated the 7th April, 2025, notifying the amalgamation of BangiyaGramin Vikash Bank, Paschim Banga Gramin Bank and Uttar Banga KshetriyaGramin Bank as West Bengal Gramin Bank.

[Placed in Library. For (6) to (11), See No.L.T.4057/18/25]

(ii) A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Finance (Department of Revenue), under sub-section (7) of Section 9A of the Customs Tariff Act, 1975, along with Explanatory Memoranda:-

(1) G.S.R. 528(E)., dated the 4th August, 2025, imposing anti-dumping duty on "Black Toner in powder form" originating in or exported from China PR, Malaysia and Taiwan for a period of 5 years, in pursuance of sunset review final findings issued by DGTR.

(2) G.S.R. 535(E)., dated the 6th August, 2025, amending the Principal Notification No. G.S.R. 697(E), dated the 10th November, 2020.

[Placed in Library. For (1) and (2), See No.L.T.4058/18/25]

(iii) A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Finance (Department of Revenue), under Section 159 of the Customs Act, 1962, along with Explanatory Memoranda:-

(1) S.O. 3235(E)., dated the 15th July, 2025, amending the Principal Notification No. S.O. 748(E), dated the 3rd August, 2001.

(2) S.O. 3540(E)., dated the 31st July, 2025, amending the Principal Notification No. S.O. 748(E), dated the 3rd August, 2001.

[Placed in Library. For (1) and (2), See No.L.T.4059/18/25]

Contents Page

(iv) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (4) of Section 40 of the State Bank of India Act, 1955, as amended by the Banking Laws (Amendment) Act, 1985: -

(a) Annual Report and Accounts of the State Bank of India, Mumbai, for the year 2024-25 (FY 1.04.2024 to 31.03.2025), together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Bank.

[Placed in Library. See No.L.T.4071/18/25]

(v) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (8) of Section 10 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and 1980: -

(a) Annual Report and Accounts of the following Banks, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts: -

(i) Bank of Baroda, Baroda, Gujarat

[Placed in Library. See No.L.T.4066/18/25]

(ii) Bank of India, Mumbai, Maharashtra

[Placed in Library. See No.L.T.4068/18/25]

(iii) Bank of Maharashtra, Pune, Maharashtra

[Placed in Library. See No.L.T.4067/18/25]

(iv) Canara Bank, Bengaluru, Karnataka

[Placed in Library. See No.L.T.4064/18/25]

(v) Central Bank of India, Mumbai, Maharashtra

[Placed in Library. See No.L.T.4070/18/25]

(vi) Indian Bank, Chennai, Tamil Nadu

[Placed in Library. See No.L.T.4069/18/25]

(vii) Indian Overseas Bank, Chennai, Tamil Nadu

[Placed in Library. See No.L.T.4065/18/25]

(viii) Punjab National Bank, New Delhi

[Placed in Library. See No.L.T.4061/18/25]

Contents Page

(ix) Punjab & Sind Bank, New Delh

[Placed in Library. See No.L.T.4062/18/25]

(x) UCO Bank, Kolkata, West Bengal

[Placed in Library. See No.L.T.4063/18/25]

(xi) Union Bank of India, Mumbai, Maharashtra

[Placed in Library. See No.L.T.4060/18/25]

(b) Review by Government on the working of the above Banks.

[Placed in Library. See No.L.T.4070(A)/18/25]

Notifications of the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी. एल. वर्मा): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(i) A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs), under sub-section (4) of Section 52 of the Legal Metrology Act, 2009: -

(1) G.S.R. 498(E)., dated the 28th July, 2025, publishing the Legal Metrology (General) Third Amendment Rules, 2025.

(2) G.S.R. 525(E)., dated the 4th August, 2025, publishing the Legal Metrology (General) Fourth Amendment Rules, 2025.

(3) G.S.R. 536(E)., dated the 7th August, 2025, publishing the Legal Metrology (General) Fifth Amendment Rules, 2025.

[Placed in Library. For (1) to (3), See No.L.T.4095/18/25]

(ii) A copy (in Hindi only) of the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs) G.S.R. 500(E), dated the 28th July, 2025, publishing a Corrigendum to the Hindi Version of the Notification No. G.S.R. 242(E)., dated the 21st April, 2025.

[Placed in Library. See No.L.T.4095/18/25]

(iii) (1) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (2) of Section 23 and sub-section (4) of Section 24 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016: -

(a) Annual Report and Accounts of the Bureau of Indian Standards, (BIS), New Delhi, for the year 2023-24, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Bureau.

(2) Statement (in English and Hindi) giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library. See No.L.T.4096/18/25]

Notifications of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS (SHRI SHANTANU THAKUR): Sir, I lay on the Table, a copy (in English and Hindi) of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways Notification No. G.S.R. 517(E)., dated the 1st August, 2025, publishing the Inland Vessels (Survey and Certification) Amendment Rules, 2025, under sub-section (1) of Section 113 of the Inland Vessels Act, 2021.

[Placed in Library. See No .L.T. 5001/18/25]

Notifications of the Ministry of Finance

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री पंकज चौधरी): महोदय, मैं सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अधीन 5201 के अंतर्गत वर्गीकृत कपास को 19 अगस्त, 2025 से 30 सितंबर, 2025 तक 11% के आयात शुल्क से छूट देने की मांग करने वाली वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 35/2025-सीमा शुल्क, दिनांक 18 अगस्त, 2025 तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन की एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिंदी में) सभा पटल पर रखता हूँ।

[Placed in Library. See No.L.T.5040/18/25]

REPORTS OF THE DEPARTMENT-RELATED PARLIAMENTARY STANDING COMMITTEE ON COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

SHRIMATI PRIYANKA CHATURVEDI (Maharashtra): Sir, I lay on the Table, a copy each (in English and Hindi) of the following Reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Communications and Information Technology (2024-25):-

(i) Sixteenth Report on Action Taken by the Government on the Observations/ Recommendations of the Committee contained in its Eighth Report

Contents Page

(Eighteenth Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2025-26)' pertaining to the Ministry of Communications (Department of Telecommunications);

(ii) Seventeenth Report on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations of the Committee contained in its Ninth Report (Eighteenth Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2025-26)' pertaining to the Ministry of Electronics and Information Technology;

(iii) Eighteenth Report on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations of the Committee contained in its Tenth Report (Eighteenth Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2025-26)' pertaining to the Ministry of Communications (Department of Posts);

(iv) Nineteenth Report on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations of the Committee contained in its Eleventh Report (Eighteenth Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2025-26)' pertaining to the Ministry of Information and Broadcasting; and

(v) Twentieth Report on 'Real Estate Management in the Department of Posts' pertaining to the Ministry of Communications (Department of Posts).

REPORT OF THE DEPARTMENT-RELATED PARLIAMENTARY STANDING COMMITTEE ON FINANCE

SHRI MILIND MURLI DEORA (Maharashtra): Sir, I lay on the Table, a copy (in English and Hindi) of the Twenty-sixth Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Finance on 'Roadmap for Indian economic growth in light of global economic and geopolitical circumstances' pertaining to the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs).

REPORT OF THE JOINT COMMITTEE ON OFFICES OF PROFIT

SHRIMATI SULATA DEO (Odisha): Sir, I lay on the Table, a copy (in English and Hindi) of the Second Report of the Joint Committee on Offices of Profit (Eighteenth Lok Sabha) regarding' Seeking clarification on the eligibility of a sitting MP to be considered for the post of Chairperson, National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR)'.

Contents Page

REPORTS OF THE DEPARTMENT-RELATED PARLIAMENTARY STANDING COMMITTEE ON RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ

श्रीमती गीता उर्फ चंद्रप्रभा (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं विभाग-संबंधित ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी संसदीय स्थायी समिति (2024-25) के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिंदी में) सभा पटल पर रखती हूँ:-

(i) Twentieth Report of the Committee on 'Effective functioning of DISHA Committees' pertaining to the Ministry of Rural Development (Department of Rural Development); and

(ii) Twenty-first Report of the Committee on 'Gram Urja Swaraj: Promoting Renewable Energy in Rural Areas' pertaining to the Ministry of Panchayati Raj.

STATEMENT OF THE DEPARTMENT-RELATED PARLIAMENTARY STANDING COMMITTEE ON RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ

श्रीमती गीता उर्फ चंद्रप्रभा (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) से संबंधित 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के माध्यम से ग्रामीण रोजगार - मजदूरी दर और अन्य संबंधित मामलों संबंधी जानकारी (2023-24)' के संबंध में विभाग-संबंधित ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी संसदीय स्थायी समिति के सैंतीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी समिति के चौथे प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा) के अध्याय I और अध्याय V में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिंदी में) सभा पटल पर रखती हूँ।

STATEMENT BY MINISTERS

Status of implementation of the Recommendations/Observations contained in the Fifth and Seventh Reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Consumer Affairs, Food and Public Distribution

Contents Page

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी. एल. वर्मा): महोदय, मैं निम्नलिखित के संबंध में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ:-

(a) Status of implementation of the Recommendations/Observations contained in the Fifth Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Consumer Affairs, Food and Public Distribution on Demands for Grants (2024-25) pertaining to the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs).

[Placed in Library. See No.L.T.4085/18/25]

(b) Status of implementation of the Recommendations/Observations contained in the Seventh Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Consumer Affairs, Food and Public Distribution on Demands for Grants (2025-26) pertaining to the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs).

[Placed in Library. See No.L.T.4086/18/25]

Status of implementation of the Recommendations/Observations contained in the Fifth Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Agriculture, Animal Husbandry and Food Processing

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES; AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI RAVNEET SINGH): Sir, I lay the statement regarding Status of implementation of the Recommendations/ Observations contained in the Fifth Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Agriculture, Animal Husbandry and Food Processing on Demands for Grants (2024-25) pertaining to the Ministry of Food Processing Industries.

[Placed in Library. See No.L.T.4087/18/25]

Status of implementation of the Recommendations/Observations contained in the First Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Housing and Urban Affairs

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तोखन साहू): महोदय, मैं आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की अनुदान मांगों (2024-25) के संबंध में विभाग-संबंधित आवासन और

Contents Page

शहरी कार्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति (अठारहवीं लोक सभा) के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/समुक्तियों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ।

[Placed in Library. See No.L.T.4080/18/25]

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon. Members, 20 notices have been received today on four different subjects under Rule 267. *...(Interruptions)...* Since none of these notices received today are in adherence to the requirement of the rules, I am not admitting any of the notices. *...(Interruptions)...*

विपक्ष के नेता (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): सर, मैं जानना चाहता हूं कि किस तरह से रूल 267 एडमिट होता है, आप ऐसा कुछ लिख कर दीजिए ...(**व्यवधान**)... जिससे कि हम उसी के तहत नोटिस दें। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN : I will give a detailed ruling *...(Interruptions)...* Now, Matters Raised with Permission of Chair. Shri Kanad Purkayastha. *...(Interruptions)...* Please take your seats.

MATTER RAISED WITH PERMISSION

Demand for night landing of flights at Silchar airport

श्री कणाद पुरकायस्थ (असम): माननीय उपसभापति महोदय, मैं इस सम्मानित सदन का ध्यान सिलचर हवाई अड्डे के हवाई संपर्क से संबंधित एक अत्यावश्यक मामले की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: यह ज़ीरो आवर है, बहुत ही important है और माननीय मेम्बर्स का आवर है। ...(**व्यवधान**)... क्वेश्चन आवर और ज़ीरो आवर मेम्बर्स का आवर है, इसमें आप देश की समस्याओं को उठाते हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं, please go back to your seats. *...(Interruptions)...*

श्री कणाद पुरकायस्थ: यह हवाई अड्डा असम में बराक घाटी और पड़ोसी राज्यों जैसे त्रिपुरा, मिज़ोरम और मणिपुर के कुछ हिस्सों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। ...(**व्यवधान**)... Hon. Deputy Chairman, Sir, despite having the required infrastructure, night landing operations are still not permitted at Silchar Airport. *...(Interruptions)...* This restriction is hampering both passenger convenience and regional connectivity.

Contents Page

Observation by the Chair

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon. Members, I find that some Members of the House are wearing badges on their apparel. ...*(Interruptions)*... I draw their attention to the convention of the House that Members should not wear any kind of badges inside the House. ...*(Interruptions)*... A ruling in this regard was given by the then Chairman on 6th May, 1985. ...*(Interruptions)*... I, therefore, appeal to the Members to adhere to the convention. ...*(Interruptions)*...

SHRI KANAD PURKAYASTHA: I urge the hon. Minister of Civil Aviation to take immediate steps to initiate night landing facilities at the airport. ...*(Interruptions)*... The number of flights to and from Silchar remains grossly inadequate, especially considering the increasing passenger load and the strategic importance of the region. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please do not come into the Well. ...*(Interruptions)*...Please go back to your seats. ...*(Interruptions)*... आप नहीं चाहते हैं कि ज़ीरो आवर चले। ...(**व्यवधान**)...

The House stands adjourned to meet at 2.00 p.m.

The House then adjourned at seven minutes past eleven of the clock.

The House reassembled at two of the clock,
THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI) *in the Chair.*

GOVERNMENT BILL

The Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2025

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): विधायी कार्य; Shri G. Kishan Reddy to move a motion for consideration of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2025 and also speak briefly on it, if it is so desired. ...*(Interruptions)*...

THE MINISTER OF COAL; AND THE MINISTER OF MINES (SHRI G. KISHAN REDDY): Mr. Vice-Chairman Sir, I move:

"That the Bill further to amend the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

...(Interruptions)...

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): माननीय विपक्ष के नेता कुछ बोल रहे हैं, तो आप सभी बैठ जाइए। विपक्ष के नेता, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि विधायी कार्य चल रहा है। विधायी कार्य के अलावा कोई न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण या अन्य किसी विषय पर कोई बात कहेंगे, तो वह अंकित नहीं होगा।

विपक्ष के नेता (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): उपसभाध्यक्ष महोदय, यह तो रूलिंग भी है, इसके बारे में आपको मालूम है। * ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): माननीय खरगे जी, यह विचाराधीन है। यह रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। ...(**व्यवधान**)...

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: * ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): माननीय मंत्री जी, आप बोलिए। ...(व्यवधान)... आप सब बैठ जाइए। Please. *...(Interruptions)...* एक प्वाइंट ऑफ ऑर्डर पर दूसरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर नहीं उठा सकते। ...(**व्यवधान**)... आप बैठ जाइए। Please sit down. *...(Interruptions)...* आपके विपक्ष के नेता बोल रहे हैं। अब विधायी कार्य का समय है। ...(**व्यवधान**)...

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : * ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): यह रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। ...(**व्यवधान**)...... माननीय विपक्ष के नेता, आप बैठ जाइए। आपकी बात पूरी हो गई, कृपया आप बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)... आप बैठ जाइए। No please. *...(Interruptions)...*

श्री जी. किशन रेड्डी: भारत सरकार की तरफ से हम तैयार हैं। ...(**व्यवधान**)... विपक्ष की ओर से जो भी सांसद बात करेंगे, तो हम इस अमेंडमेंट के विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। ...(**व्यवधान**)... आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में ...(**व्यवधान**)...

---

* *Not recorded.*

Contents Page

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): Now, nothing will go on record. ...*(Interruptions)*... माननीय विपक्ष के नेता, मैंने आपको उत्तर दे दिया है। ...(**व्यवधान**)... आपने अपनी बात कही। आप कृपया बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)... संसदीय कार्य मंत्री जी, आप कुछ कहना चाहेंगे! ...(**व्यवधान**)...

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING; AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. L. MURUGAN): Yes, Sir. सर, माननीय एलओपी ने जो बताया है, वह बिल से संबंधित नहीं है। ...(**व्यवधान**)... We are discussing the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2025. ...*(Interruptions)*... इस बिल में हमारी सरकार, we are ready to discuss everything. ...*(Interruptions)*... Yesterday, our Leader of the House, Nadda*ji* very clearly said that we are ready to discuss everything within the law. ...*(Interruptions)*... Sir, the Bill has to be discussed.

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): मंत्री महोदय, आप कुछ कहना चाहेंगे। ...(**व्यवधान**)... मंत्री जी, अपनी बात कहेंगे। ...(**व्यवधान**)... आप लोगों की बात रिकॉर्ड पर नहीं जा रही है। विधायी कार्य प्रारंभ हो गया है। कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। ...(**व्यवधान**)... मंत्री जी, आप बोलिए। ...(**व्यवधान**)...

विपक्ष के नेता (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): सर, हम सदन से वॉकआउट करते हैं।

(At this stage some hon. Members left the Chamber.)

श्री जी. किशन रेड्डी : महोदय, जैसा मैं बता रहा हूं, भारत सरकार, नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में, ease-of-doing business, ease of living, आज इस दृष्टिकोण से 2014 से हर मिनिस्ट्री के हर विषय पर जो देश के हित के लिए ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): केवल मंत्री जी की बात रिकॉर्ड होगी। ...(**व्यवधान**)...

श्री जी. किशन रेड्डी : देश के विकास के लिए हम अलग-अलग रिफॉर्म्स ला रहे हैं। जिसमें भ्रष्टाचार कम हो, जनता का ठीक तरीके से विकास हो, देश में ठीक तरीके से डेवलपमेंट हो। इस दृष्टिकोण से हम जो अलग-अलग रिफॉर्म्स लाए हैं, उसमें एक रिफॉर्म माइनिंग सेक्टर का है। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): सिर्फ मंत्री जी की बात ही रिकॉर्ड होगी।

श्री जी. किशन रेड्डी: माइनिंग सेक्टर का जो रिफॉर्म भारत सरकार लाई है, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं कि 2014 से पहले इसमें जो भ्रष्टाचार था, 2014 से पहले इसमें देश की जनता के खिलाफ जो अलग-अलग इश्यूज़ थे, उनको दूर करने के लिए भारत सरकार द्वारा 2015, 2021 और 2023 से इस MMDR Act में लगातार बड़े रिफॉर्म्स लाए गए। इनके कारण भारत में माइनिंग सेक्टर का स्वरूप पूरी तरह से बदल गया है। आज चाहे मिनरल ब्लॉक्स का ऑक्शन हो, मिनरल ब्लॉक्स का एक्सप्लोरेशन हो, मिनरल ब्लॉक्स की पूरी एलॉटमेंट हो, क्रिटिकल मिनरल हो, एमएमडीआर एक्ट हो, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन हो, मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार देश में एक सशक्त सप्लाई चेन स्थापित करने के लिए माइनिंग सेक्टर में काम कर रही है। ...(**व्यवधान**)... इसमें whole Government approach से cooperative federalism spirit को देखते हुए, industry partners से सहयोग करते हुए, अलग-अलग राज्य सरकारों से, अलग-अलग stakeholders से बातचीत करते हुए भारत सरकार माइनिंग सेक्टर में लगातार reforms ला रही है।

महोदय, इसके अंतर्गत भारत सरकार industry partners को सहयोग देकर, राज्य सरकारों से बात करके, stakeholders से बात करके इस MMDR Act में 6 Amendments ला रही है। सबसे पहली बात तो यह है कि auction process के द्वारा mining leases देते हुए, mining auctions द्वारा जब mining blocks में mineral production होता है, उस समय main minerals के अलावा, अगर उसी माइन में और कोई दूसरा associated mineral भी है, तो उसे आइडेंटिफाई करके उस associated mineral की भी माइनिंग करने का, उस माइनिंग लीज़ होल्डर को अधिकार देने की ...(**व्यवधान**)... गवर्नमेंट में अनुमति मिलती रही है। ...(**व्यवधान**)...

DR. JOHN BRITTAS (Kerala): Sir, I have a point of order on this point.

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): मैं आपका point of order इनका भाषण समाप्त होने के बाद लूंगा।

श्री जी. किशन रेड्डी: महोदय, इसी प्रकार से दूसरा अमेंडमेंट है, deep-seated minerals...

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : मंत्री जी, आप एक मिनट रुकिए। डा. जॉन ब्रिटास जी, आप अपना point of order बोलिए।

DR. JOHN BRITTAS: Sir, my point of order is under Rule 67. The hon. Minister is introducing a Bill which is trampling on the rights of the States. They are consistently usurping into the powers of the State Government. And, I have moved a motion saying that this Bill should be referred to a Select Committee.

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : वह समय आएगा।

Contents Page

DR. JOHN BRITTAS: The moment… …(*Interruptions*)… Sir, you have allowed me, then, you …(*Interruptions*)…

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): I would allow you after… …(*Interruptions*)…

DR. JOHN BRITTAS: Sir, this is a serious Bill which has got far-reaching repercussions.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): No point of order, please sit down.

DR. JOHN BRITTAS: Sir, we are walking out.

(At this stage some hon. Members left the Chamber.)

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): मंत्री जी, आप अपना भाषण जारी रखिए।

श्री जी. किशन रेड्डी: उपसभाध्यक्ष जी, आज़ादी के बाद देश में, 2015 तक ठीक तरीके से एक्सप्लोरेशन नहीं होता था, सिर्फ Geological Survey of India यह exploration करता था, लेकिन आज इस exploration को और तेज़ गति से आगे बढ़ाने के लिए, नरेन्द्र मोदी जी के सत्ता में आने के बाद, 2015 में National Mineral Development Exploration Trust बनाया गया। आज उस ट्रस्ट को भारत में private sector और public sector को finance देने का निर्णय किया है। महोदय, केवल उससे ही नहीं, बल्कि दुनिया में बदलती हुई स्थिति को भी देखते हुए भारत को National Critical Mineral Mission की जरूरत है। इसके लिए अलग-अलग देशों में जाकर National Critical Mineral Mission के द्वारा exploration कराने के लिए, finance देने के लिए, हमारी जो organization, पीएसयूज़ exploration के लिए विदेश में जाती हैं, उनको फाइनेंस करने के लिए भी आज संसद के सामने अमेंडमेंट्स लाए गए हैं।

इसी तरह से फोर्थ अमेंडमेंट भी है। कैप्टिव माइन्स को लेकर अमेंडमेंट लाया गया है। इन माइन्स में 30-40 साल से लगातार लेगेसी स्टॉक्स, डम्प्स एंड ओवरबर्डन पड़ा हुआ है। आज हम कम्पनीज़ को उस ओवरबर्डन को बेचने की अनुमति दे रहे हैं, क्योंकि उनका लैंड भी ऐसे ही पड़ा है। उस ओवरबर्डन में अलग-अलग मिनरल्स भी हैं। आज उन्हें कैप्चर करने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। ओवरबर्डन निकालने से फ्री ओपन प्लेस माइनिंग के लिए लैंड अवेलेबल होगा। माइनिंग प्लानिंग में सुविधा होगी, उसकी सुरक्षा में सुधार होगा। ओवरबर्डन, डम्प्स में मौजूद मिनरल्स के मार्केट में आने से हम मार्केट में अधिक खनिजों की उपलब्धता सुनिश्चित कर सकते हैं।

उपसभाध्यक्ष जी, फिफ्थ अमेंडमेंट यह है कि कैप्टिव माइन्स में मिनरल्स सेल्स को अधिक लिबरलाइज़ करते हुए, भारत सरकार ने एक निर्णय लिया था। कैप्टिव माइन्स में जितनी भी जरूरत पड़ती है, अगर उससे ज्यादा प्रोडक्शन है, तो संसद ने पहले ही 50 परसेंट सेल करने का अधिकार दिया है। आज भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि 50 परसेंट ही नहीं, बल्कि कैप्टिव माइन्स को जितने भी मिनरल्स की जरूरत है, रॉ मैटेरियल की जरूरत है, उसे यूज़ करने के बाद, जितनी भी प्रोडक्शन करेंगे, उसे ओपन मार्केट में कमर्शियली बेच सकते हैं, यह निर्णय भी लिया गया है, क्योंकि आज हम भारत की मिनरल्स एक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं। इसमें अलग-अलग रिफॉर्म्स करना चाहते हैं, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस करना चाहते हैं। इस दृष्टिकोण से आज यह फिफ्थ अमेंडमेंट लाया गया है।

उपसभाध्यक्ष जी, सिक्स्थ अमेंडमेंट है कि मिनरल्स ट्रेडिंग को ट्रांसपेरेंट और कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए आज हम एक डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक मिनरल ट्रेडिंग एक्सचेंज की स्थापना करने वाले हैं। इसकी अनुमति लोक सभा में ली जा चुकी है और राज्य सभा में अनुमति लेने के लिए यह आपके सामने है। मिनरल्स की बाइंग हो, मिनरल्स की सेलिंग हो, अलग-अलग सेक्टर का कोल हो, इस स्ट्रक्चर्ड, फेयर और सेल्स प्रमोशन प्लेटफॉर्म पर एफिशिएंट तरीके से मार्केटिंग हो सकती है। इन सभी सुधारों के साथ-साथ, संसद के सामने जरूरी संशोधन भी लाए गए हैं, जिनके द्वारा अननेसेसरी अप्रूवल और एक्स्ट्रा कॉस्ट को हटाया जाएगा, ताकि माइनिंग प्रक्रिया और अधिक तेज, सरल और इन्वेस्टर फ्रेंडली हो सके।

इस बीच, यह संशोधन भारत को क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक स्ट्रेटिजिक और दूरदर्शी कदम है। दुनिया में जो जियोपॉलिटिक्स चल रही है, उसके दृष्टिकोण से, भारत को भी प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में एक आत्मनिर्भर दृष्टिकोण से आगे बढ़ना चाहिए। मैं इस सदन के सभी सांसद महानुभाव से आग्रह करता हूँ कि इस विधेयक को समर्थन प्रदान करें। भारत की मिनरल सप्लाई चेन को मजबूत करने में सहयोग देने के लिए मैं इसे आपके सामने रखता हूँ।

The question was proposed.

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय...

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): राधा मोहन दास अग्रवाल जी, आप पहले अपने स्थान पर जाइए। Please go to your seat.

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल: यह राइट है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): The Chair is always right. माननीय सदस्य, क्या आप व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं?

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल: माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था का ही प्रश्न उठा रहा हूँ।

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): जी, उठाइए।

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल: मैं कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को व्यवस्था के इस एक प्रश्न से टच करना चाहूँगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): व्यवस्था के प्रश्न में एक बार में एक ही मुद्दा उठेगा।

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल: कुछ-कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं...

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): नहीं, एक ही मुद्दा उठेगा।

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल: महोदय, आप पहले मेरी बात सुन तो लीजिए।

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): हाँ, आपकी पूरी बात सुनेंगे।

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल: सर, आप पहले सुनें, फिर निर्णय दें। मैं आपका निर्णय मानूँगा, लेकिन सुन तो लीजिए।

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): जी, सुनाइए।

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल: कभी-कभी ऐसे मुद्दे होते हैं...

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): आप रूल क्वोट कीजिए।

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल: कभी-कभी ऐसे मुद्दे होते हैं, जो एक साथ कई...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): Please quote the rule.

REGARDING ISSUES RAISED WITH REGARD TO RULES 258, 261, 187 AND 67

DR. RADHA MOHAN DAS AGRAWAL: I will quote the Rules — Rule 261; Rule 258, which relates to point of order; and Rule 187. Under these rules, मैं आपके सामने विषय रख रहा हूँ। आप सुन लीजिए। आपका निर्णय अंतिम होगा।

सर, व्यवस्था यह है कि मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूं कि जब भी यहां बहस होती है, बिल पर चर्चा होती है, तब विपक्ष के नेता खड़े होते हैं और आप उन्हें बोलने की शुरुआती अनुमति

Contents Page

देते हैं। आप उन्हें कहते हैं कि आप बिल पर बोलिए, लेकिन वे बिल पर नहीं बोलते हैं। वे सीधे एसआईआर पर चले जाते हैं। आप एसआईआर के बारे में इंस्ट्रक्शन देते हैं कि यह कार्यवाही पर नहीं जाएगा। यहां तक तो वह चला गया। फिर हम लोग देखते हैं कि उन्होंने जो यहां भाषण दिया है उसका वीडियो सोशल मीडिया पर आ जाता है। एक और आपका आदेश है कि वह कार्यवाही में नहीं जाएगा, तो वह रिटन कार्यवाही में नहीं आता है। उनका दिए हुए भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर चल जाता है, यानी जनता की निगाहों में वह कार्यवाही पर आ जाता है। मेरा प्रश्न सिर्फ इतना ही है कि यदि आपने राइटिंग में कोई चीज़ कार्यवाही से एक्सपंज की, तो वह सोशल मीडिया में कैसे प्रसारित हो रही है, क्या यह breach of privilege का विषय है या नहीं है, क्या आपका सदन और आपकी यह कुर्सी इस बात को डाइलेट करेगी कि जिस भी विषय को हम एक बार एक्सपंज कर देंगे, तो कोई भी मेम्बर और कोई भी मीडिया - मैं मीडिया को इसमें जोड़ता हूं - अगर इस घटना, इस गतिविधि को प्रसारित करेगा, तो संबंधित मेम्बर और संबंधित चैनल और मीडिया, तो इन सबको breach of privileges के लिए इस सदन में बुलाकर पेश किया जाएगा? मैं चाहूंगा कि आप इस पर अब अपना निर्णय दें।

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): माननीय सदस्य डा. राधा मोहन दास अग्रवाल जी ने रूल 261 के अंतर्गत एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। उन्होंने कहा है कि जब आप विपक्ष के नेता को बोलने का अवसर देते हैं और उसके बाद वह उस विषय पर बोलते हैं, जिस पर उन्हें नहीं बोलना चाहिए। इस संबंध में पहले तो मैं उनको याद करवा दूं कि जब भी उनको बोलने की परमिशन दी गई है, तब आसन से यह कहा गया है कि जो न्यायालय में विचाराधीन मामला है, उसको नहीं उठाएंगे। जो विषय अभी चर्चा में है, उस विषय के अलावा कोई और विषय नहीं उठाएंगे और अगर उठाएंगे, तो वह रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा। आपने दूसरा प्रश्न यह उठाया कि वह रिकॉर्ड पर तो नहीं गया, लेकिन वह तुरंत सोशल मीडिया पर चला गया, तो मैं चाहूंगा कि जो विषय सदन की कार्यवाही में नहीं हो, वह विषय सोशल मीडिया पर नहीं जाए, इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए। ...(**व्यवधान**)...

डा. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी: उपसभाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न ...

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): व्यवस्था के प्रश्न पर एक और व्यवस्था का प्रश्न नहीं आता है।

डा. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी: सर, यह जो वीडियो मिलता है, वह संसद टीवी से मिलता है। वहां पर प्रतिबंध लगाना चाहिए कि वे इस तरह के वीडियो न दें।

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): मैंने यही कहा है कि जो संसद टीवी से या किसी भी प्रकार से अपने यहां से रिकॉर्ड में नहीं जाए, इस प्रकार की व्यवस्था की जाए। दूसरा, रूल 67 के अंतर्गत जॉन ब्रिटास जी ने एक प्रश्न उठाया था कि Rule 67 is applicable only to Bills introduced in Rajya Sabha. यह बिल चूंकि लोक सभा के द्वारा पारित होकर राज्य सभा में आया है, इसलिए

रूल 67 इस पर एप्लिकेबल नहीं होता है और उनका व्यवस्था का प्रश्न मैं निरस्त करता हूं। Now, we shall continue with the Bill. There is one Amendment by Dr. John Brittas; not present. Amendment not moved.

DR. M. THAMBIDURAI: Sir, I want to participate in the Bill.

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : अभी बहस शुरू नहीं हुई है। ...**(व्यवधान)**... The motion for the consideration of the Bill moved. It is now open for discussion. I now call upon the Members whose names have been received for participation in the discussion. Dr. Bhim Singh.

GOVERNMENT BILL- *Contd.*

The Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2025

डा. भीम सिंह (बिहार): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, यह सदन खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2025 पर विचार कर रहा है। सरकार जो संशोधन विधेयक लाई है, उस विधेयक का उद्देश्य the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 को संशोधित करना है।

The Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, जिसको संक्षेप में MMDR Act भी कहा जाता है, उसके संशोधन के द्वारा सरकार ने खान के क्षेत्र में बड़ा ही क्रांतिकारी सुधार करने का काम किया है। यह सुधार कोई पहली बार नहीं हो रहा है, बल्कि जब से हमारी सरकार आई है, जब से माननीय मोदी जी की सरकार आई है, तब से यह सुधार का कार्यक्रम चलता आ रहा है। इस संशोधन अधिनियम का उद्देश्य क्या है? इस संशोधन अधिनियम का उद्देश्य जो critical minerals हैं, उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करना है। ये critical minerals क्या हैं? Critical minerals उनको कहते हैं, जो औद्योगिक क्षेत्र के लिए या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। इन critical minerals की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए यह संशोधन विधेयक लाया जा रहा है।

महोदय, इसका दूसरा उद्देश्य deep-seated minerals के बारे में है। Deep-seated minerals किनको कहते हैं? Deep-seated minerals उनको कहते हैं, जो minerals 200 मीटर से नीचे की गहराई पर होते हैं। Deep-seated minerals को कैसे प्रचुरता में उपलब्ध कराया जाए, इसके लिए इस संशोधन अधिनियम के द्वारा व्यवस्था की जा रही है।

महोदय, इस संशोधन अधिनियम का तीसरा उद्देश्य है - NMET, यानी National Mineral Exploration Trust. इस अधिनियम के माध्यम से हम NMET का क्षेत्र विस्तार कर रहे हैं। महोदय, जब खान विभाग पर चर्चा हो, जब कोयला खान से निकलता है, तो हमें बरबस वह यूपीए की सरकार याद आती है। जब 2004 से 2009 के बीच यह सरकार चल रही थी, तो कितने

घोटाले हो रहे थे। 1,86,000 करोड़ के कोयला घोटाले वाले, यूपीए सरकार वाले यहां से चले गए हैं। यह उनके शासन में हुआ था। उस scam को 'Mother of all scams' कहा गया था। यह भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा, किसी विपक्षी दल ने नहीं कहा, बल्कि CAG ने कहा कि यह जो कोल घोटाला है, यह 'Mother of all scams' है। हमारी सरकार के आने के बाद, मोदी जी की सरकार ने लगातार इस खान क्षेत्र में सुधार करने का काम किया है। 2015 में ही हमारी सरकार ने इसमें सुधार किया। पहले मनमाना आवंटन होता था। पहले कोयला खदानों का आवंटन होता था, allotment होता था। उसी allotment में 1,86,000 करोड़ का घोटाला हुआ था। मोदी जी की सरकार ने इसको रोक दिया और नीलामी के माध्यम से कोयला खदानों की व्यवस्था और व्यवस्थापन करने का काम किया। यह 2015 में हुआ। महोदय, मोदी जी की सरकार ने 2015 में ही जिला खनिज प्रतिष्ठान, यानी District Mineral Foundation की स्थापना की। इसका उद्देश्य क्या था? District Mineral Foundation का काम यह है कि जहां पर कोयला खदान है या किसी प्रकार का खदान है, तो affected area में जनता के बीच में सुधार का काम, जनोपयोगी काम किया जाए। उसकी स्थापना भी 2015 में की गई। फिर एक दूसरी संस्था बनाई गई। राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट, यानी National Mineral Exploration Trust की स्थापना की गई। यह मैं 2015 की बात कह रहा हूं।

अब आप 2021 में आइए। 2021 में मोदी जी की सरकार ने captive minerals और merchant minerals में जो भेद था, उसको मिटाने का काम किया। Captive minerals उनको कहते हैं, जो उद्योगों के द्वारा निकाले जाते हैं। उनमें से वे अपने उपयोग के लिए minerals निकालते हैं। पहले उनको उसे बेचने का right नहीं था। अगर कोई भी खनिज पदार्थ अपने उपयोग से ज्यादा हो जाए, तो वे उसे बेच नहीं सकते थे। मोदी जी की सरकार ने 2021 में ही यह allow किया कि वे 50 परसेंट खनिज open market में बेच सकते हैं। इससे अपव्यय पर रोक लगी। मान लीजिए कि उन्होंने खनिज निकाल लिया और वह रखा हुआ है, लेकिन चूंकि उसे बेचने का अधिकार नहीं था, तो उसका अपव्यय होता था। इससे पर्यावरण को भी क्षति पहुंचती थी। 2021 में यह सब काम हो गया।

महोदय, 2023 में critical minerals की सूची को संशोधित किया गया। जैसे तांबा वगैरह critical minerals में आते हैं। उनकी सूची को संशोधित करके आज critical minerals की जो सूची है, वह 30 है। यह जो 30 की संख्या है, उसे मोदी जी की सरकार लाई है। यह विधेयक उसी सुधार की तार्किक परिणति है। उसी सुधार के क्रम में यह सुधार भी लाया जा रहा है।
महोदय, विधेयक की प्रमुख विशेषताएँ तो कई हैं, अनेकों हैं, 10 हैं, 15 हैं, मेरे पास उतना गिनाने का समय भी नहीं है। इसकी प्रमुख विशेषताएँ ये हैं: पहला, राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट, यानी National Mineral Exploration Trust का दायरा बढ़ाया जा रहा है और इसको पुनर्नामित भी किया जा रहा है। अब इसका नाम होगा – "National Mineral Exploration Development Trust." यानी अब यह ट्रस्ट अन्वेषण के साथ-साथ विकास पर भी ध्यान देगा। इस विधेयक की दूसरी विशेषता यह है कि जो खनिज गहराई में हैं, deep-rooted, deep-seated हैं, यह उनके निष्कर्षण में, exploration में, क्षेत्र के विस्तार की अनुमति देता है। अगर कहीं पर एक मिनरल है और वहीं पर कोई दूसरा मिनरल भी पाया जा रहा है, तो हम उस continuous area का विस्तार कर सकेंगे। जिनके पास लाइसेंस है, वे कुछ स्थिति में 10 परसेंट तक विस्तार करेंगे और कुछ

Contents Page

स्थिति में 30 परसेंट तक विस्तार कर सकेंगे। इसकी तीसरी विशेषता यह है, जो मैंने कहा कि captive minerals के खदानों को, जो 2021 में 50 परसेंट तक की सीमा को बढ़ाने की अनुमति दी गई थी, ...(**समय की घंटी**)... महोदय, दो मिनट।

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : माननीय सदस्य, आपके बोलने का समय समाप्त हुआ।

डा. भीम सिंह: महोदय, मैं बड़ा अनुशासित हूँ। कभी-भी ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): श्री अयोध्या रामी रेड्डी आला। ...(**व्यवधान**)... आपके बोलने का समय समाप्त हुआ। ...(**व्यवधान**)...

डा. भीम सिंह: महोदय, ...(**व्यवधान**)... *

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): डा. भीम सिंह जी, धन्यवाद। ...(**व्यवधान**)... श्री अयोध्या रामी रेड्डी आला, आप बोलिए। ...(**व्यवधान**)... डा. भीम सिंह जी, आपकी बात रिकॉर्ड नहीं हो रही है। ...(**व्यवधान**)... आपकी बात रिकॉर्ड नहीं हो रही है। ...(**व्यवधान**)... श्री अयोध्या रामी रेड्डी आला।

SHRI AYODHYA RAMI REDDY ALLA (Andhra Pradesh): Sir, I rise today to speak on the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2025. While the Bill introduces several important changes, I wish to highlight the key positives and concerns that would affect our mining sector.

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): एक मिनट। मैं एक निवेदन कर दूँ। ये संसदीय लोकतंत्र की स्थापित परम्पराएँ हैं और हमारे नियमों में भी प्रावधान है कि पूरा लिखा हुआ भाषण यहाँ नहीं पढ़ा जाता है। आप कुछ क्वोट कर सकते हैं, कुछ points देख सकते हैं, लेकिन पूरा लिखा हुआ भाषण लाकर पढ़ना - यह संसदीय परम्पराओं के अनुरूप नहीं है। आज मैं आपको अलाऊ कर रहा हूँ। आगे से इसका ध्यान रखिएगा।

SHRI AYODHYA RAMI REDDY ALLA: All right, Sir. Sir, there are some positives in this Bill. One of the most important positive points is easier expansion for deep-seated minerals. This Amendment holds that mining leases for minerals, found more than 200 meters deep, will be allowed a one-time expansion of their lease area by up to 10 percent. Composite license holders can also expand it by up to 30 per cent. This change will help companies mine contiguous zones that were previously

---

* *Not recorded.*

Contents Page

uneconomical to exploit separately. By enabling access to these adjacent areas, companies can better utilize their mineral deposits, reduce costs and increase overall production. This expansion will increase domestic mineral production, promote better resource utilization and help generate greater revenues and employment for the mining sector.

Sir, the second point is the critical charges exemption for critical and strategic materials. This Bill waives additional charges for including extractable critical and strategic minerals in the mining leases. This exemption is also very critical. It lowers the financial barriers for the companies. Also, it is vital for defence technology and clean energy sectors. Through reduction in costs, this Bill encourages more exploration and production of essential minerals. These minerals are very essential for India's self-resilience goals and also reducing dependence on imports. This would help in building a stable and secure supply chain for key minerals, supporting strategic national interests and boosting the country's industrial and technological development.

The third point is removal of sales capping and promotion of mineral exchanges. This Amendment also removes the 50 per cent cap that is there today on sale of minerals produced by the captive mines, allowing miners to sell all surplus production after meeting their plant requirements. This change opens up new market opportunities for captive miners and improves the mineral availability in the open market. Additionally, this Bill promotes mineral exchanges and regulates electronic platforms. This also helps for transporting and trading of minerals, concentrates and metals. These exchanges will enhance price discovery, reduce market manipulation and attract investment by creating a fairer and more efficient marketplace. This strengthens the supply chain stability and supports economic growth. There are some negative concerns regarding the protection of *adivasi* rights. I want that this Bill must look into it, especially the PESA Act. Urgent concerns over illegal mining and its impact on the livelihoods must be looked into, including the financial mismanagement and constitutional violations.

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): माननीय सदस्य, आपका बोलने का समय समाप्त हुआ।

SHRI AYODHYA RAMI REDDY ALLA: Sir, I will take only 30 seconds more. States are misusing the importance of these minerals and mines and they are trying to pledge the future revenues of these minerals and trying to take cash flow today. So, this needs to be arrested. With all these points, from YSR Congress Party, we support this Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): Statement by Minister correcting answer to Question; Shrimati Anupriya Patel.

STATEMENT BY MINISTER CORRECTING ANSWER TO QUESTION

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE; AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRIMATI ANUPRIYA PATEL): Sir, with your permission, I lay a Statement (in English and Hindi) correcting the answer to Unstarred Question No. 1782 given in the Rajya Sabha on the 5th August, 2025, regarding 'Ensuring availability of essential medicines'.

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : धन्यवाद। श्री मानस रंजन मंगराज।

GOVERNMENT BILL- *Contd.*

The Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2025

SHRI MANAS RANJAN MANGARAJ (Odisha): Thank you, the Vice-Chairman, Sir, for giving me the opportunity to speak on the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2025. Sir, I represent the State of Odisha, a State richly endowed with mineral resources. Nearly 28 per cent of the country's iron ore, 24 per cent of coal, 59 per cent of bauxite and 98 per cent of chromite reserves lie beneath the soil of Odisha. Unfortunately, this mineral wealth has, over time, turned from being a blessing into a curse for the State. The Central Government and mine leaseholders reap huge benefits from these resources, but Odisha does not receive its due share. Our Party leader and former Chief Minister, Shri Naveen Patnaik, has repeatedly demanded an increase in the State's share of coal royalties, but the Central Government has paid no heed to this request. As a result, Odisha suffers a massive revenue loss every year. Similarly, although the Centre collects Rs. 400 per tonne as green cess on coal, amounting to Rs. 10,000 to Rs. 12,000 crore annually, Odisha does not receive even a fraction of this revenue. In this new Amendment Bill too, there does not appear to be any specific provision safeguarding the interests of Odisha or other mineral-rich States. The Mines and Minerals (Development and

Contents Page

Regulation) Act, first enacted in 1957, has already been amended four times. The first major amendment came in 2015, followed by further amendments in 2020, 2021 and 2023. Each time, however, the changes have been designed largely to protect the interests of leaseholders, while ignoring the welfare of the States from where the minerals are extracted. Districts such as Keonjhar, Sundargarh, Mayurbhanj, Jajpur and Angul, which are mineral rich, are now facing several environmental degradation and pollution issues caused by mining activities. The new amendments should have addressed these concerns, but there is little reflection of that.

Sir, under the proposed Amendment, the contribution of leaseholders to the National Mineral Exploration and Development Trust (NMEDT) has been raised from 2 per cent to 3 per cent royalties. However, this will bring no real benefit to the mineral-bearing States, as the funds will be utilised entirely by the Central Government, leaving Odisha with no share. Further, by including minor minerals within the scope of this law, the State Governments will be empowered to impose higher levies on resources, like stone, sand and concrete, but this will ultimately make essential construction materials, such as sand, stone and gravel, more expensive, creating difficulties for the common people.

Then, another provision allows the leaseholders to extract benefit from associate minerals, beyond the originally-specified lease minerals, without paying any additional charges. This will benefit the leaseholders but will lead to loss of revenue for the State Governments. Moreover, captive mines are now being allowed to sell up to 5 per cent of extracted minerals within one year of the lease expiry, which again benefits only the leaseholders.

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): माननीय सदस्य, धन्यवाद। आपका भाषण समाप्त हुआ।

SHRI MANAS RANJAN MANGARAJ: Therefore, instead of making amendments that favour only the Central Government or the private leaseholders, it is important that the Government pays attention to the interests of the mineral-rich States like Odisha, and above all, to the well-being of the people living in these States.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): Now, Dr. M. Thambidurai; only three minutes.

DR. M. THAMBIDURAI (Tamil Nadu): Sir, at the outset, on behalf of my Party leader, Thiru Edappadi K. Palaniswami, I am participating in the Bill. The Bill makes some amendments based on the geological report and the Government is going to

commence the mining. Straightway, it is going to affect the States because the land is under the State Governments. Even the geological report recommends that without consulting the State Government, if it is done, it will affect the common people and others. Therefore, I request the Government to consider this. Then, they have specified a period of 60 days for the State Government to permit for inclusion of other minerals in the lease. So, this Amendment is going to affect the rights of the State Government. Therefore, I request that this kind of an attitude will affect our States. Already, we know what happened in Arittapatti tungsten mining block. Most of the people opposed that. Our leader, Thiru Edappadi K. Palaniswami, also raised this issue, but, at the same time, the DMK Government acquired the land and gave it to the Central Government. Then, it was withdrawn after the AIADMK Party's opposition. Therefore, I would like to say that this is one of the sensitive issues which happened in Madurai Arittapatti area. Now, senseless mining is going on. That is why, there have been so many comments.

Then, in September 2023, the Enforcement Directorate had raided eight such Quarries spread in six southern districts of Tamil Nadu and found that there was significant and staggering revenue loss to the tune of Rs.4,730 crore, as against the recorded revenue of only Rs.36.45 crore. This is the statement of the Enforcement Directorate made before the Madurai Bench of the Madras High Court. This is the legal issue that I am stating. It further stated that instead of 195 hectares of land to be dug, they dug nearly 987 hectares of land with [£] So, this is high time. In illegal mining and transport, there are innumerable cases filed in the courts and they are all pending. The ED further stated that there are GST losses and also money laundering.

Then, coming to 'sand mining' in Tamil Nadu, the riverbeds across the State are also impacted. The rivers like Cauvery, Vaigai, Palar, Thamirabarani and others are hugely affected due to illegal sand mining, especially in Tirunelveli. In Karur, the area, which I represented, people are illegally mining and swindling the money. There are so many
cases which are pending. Due to illegal sand mining across the rivers, the ground water level has also depleted.

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हुआ।

DR. M. THAMBIDURAI: Sir, I will finish within one minute only. The then AIADMK Government, in 2013, had imposed a blanket ban on beach sand mining, but the illegal activities are still continuing.

[£] *Exupnged as ordered by the Chair.*

Contents Page

Sir, it is with regard to the involvement of some of the DMK Ministers -- I do not wish to mention their names -- in the illegal mining ...(*Time-bell rings*)...

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): कृपया समाप्त करें।

DR. M. THAMBIDURAI: I am concluding, Sir. It is very important issue. I just want to highlight what is happening in the State of Tamil Nadu, especially, under the DMK Government. ...(*Interruptions*)... I am concluding, Sir. An ex-Minister was arrested and kept in jail for some time but he has come out on bail! He lost the Minister's post. It is relating to the Viluppuram District. Hon. Member of Parliament is here. He also knows it very well. One Minister, who was involved in illegal mining of red sand, was arrested. Members of his family are still on bail. I am telling this because, in recent past, these kinds of illegal activities have increased in Tamil Nadu due to the inefficiency of the DMK Government. £

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): माननीय सदस्य, समाप्त करें।

DR. M. THAMBIDURAI: They are selling the sand to neighbouring States and minting money. I request the hon. Minister to view it seriously.

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): माननीय सदस्य, समाप्त करें।

DR. M. THAMBIDURAI: In the end, I would like to conclude by saying that the States' rights and interests must be protected. The Central Government may have to take up certain things. Without looking at State's interests, there must not be any mining activity. That is our submission. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): Thank you. Now, Shri Sandosh Kumar P; not present. Shri Aditya Prasad. You have seven minutes.

श्री आदित्य प्रसाद (झारखंड): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय कोयला मंत्री किशन रेड्डी जी के द्वारा खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2025 प्रस्तुत किया गया है। मैं इसका हृदय से समर्थन करता हूं और अभिनंदन करता हूं।

£ *Exupnged as ordered by the Chair.*

Contents Page

महोदय, वर्ष 2014 से पहले हमारी सरकार नहीं थी, परंतु जब वर्ष 2014 में नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, उससे पहले जिस प्रकार से यूपीए की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने कोयला खदानों के आवंटन में देश को £ का काम किया था और खनिज संपदा को £ का काम किया था, वह सब किसी से छिपा नहीं है। उस समय केवल अपने भाई-भतीजे और परिवार के लोगों को कोयला खदानों का आवंटन करने का काम किया जाता था, जिससे देश में टैक्स के माध्यम से सरकार के खजाने में जो पैसे जाने चाहिए थे, वे खजाने में न जाकर उन्हीं परिवारों के पास चले जाते थे, जो पहले से इस देश में विभिन्न घोटालों के आरोपी थे। वर्ष 2014 से पहले किस प्रकार के घपले और घोटाले हुए थे, यह किसी से छिपा नहीं है।

लेकिन महोदय, वर्ष 2014 के बाद एक साधारण और गरीब परिवार में पले-बढ़े, सच्चे राष्ट्रभक्त, देश के यशस्वी प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने इस देश की कुर्सी संभाली। उसी दिन उन्होंने शपथ ली थी कि इस राष्ट्र के लिए, इस देश के भले के लिए और इस देश में रहने वाले 140 करोड़ लोगों की भलाई के लिए जो भी करना पड़ेगा, वह करेंगे और इस राष्ट्र की सेवा में ज़िंदगी भर समर्पित रहेंगे।

महोदय, जैसा कि हम सभी जानते हैं, किस प्रकार से उस समय बोली लगाई जाती थी, डाक बोली लगाई जाती थी, लेकिन 2014 के बाद पूरी पारदर्शिता के साथ खदानों के आवंटन में नीलामी प्रक्रिया का पालन किया गया। संविधान में संशोधन करके नियम बनाए गए और नीलामी प्रक्रिया के प्रारंभ होने से भाई-भतीजावाद और परिवारवाद का खात्मा हुआ। जिनके खजाने में पैसे जाते थे, वे जाने बंद हुए, इसलिए वे लोग बेरोज़गार हो गए और कराहने लगे।

आज के दिन में जो गैर-कोयला खदानें हैं, ऐसी 500 खदानों को बिना नीलामी के आवंटन करने का काम नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में किया गया है और 130 कोयला खदानों का आवंटन करने का काम भी नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में कोयला विभाग, भारत सरकार कर रही है। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि मैं झारखंड से आता हूं। वह खान, खनिज संपदा से आच्छादित प्रदेश है, लेकिन जिस प्रकार से £ महोदय, मैं झारखंड के बारे में बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से कोयला के क्षेत्र में, पत्थर के क्षेत्र में 2019 से लगातार कांग्रेस के समर्थन से उस राज्य में सरकार चल रही है, आरजेडी के समर्थन से उस राज्य में सरकार चल रही है, जिस प्रकार से कोयले का अवैध खनन हो रहा है, प्रत्येक दिन करोड़ों रुपयों के कोयले की £ होती है, करोड़ों रुपये के अवैध पत्थर के खदान काटे जाते हैं, बड़े-बड़े पहाड़ों को धंसाया जा रहा है, चट्टानें गिर रही हैं, प्राकृतिक संपदाओं, प्राकृतिक संसाधनों को लूटने का काम किया जा रहा है। एक तरफ देश के यशस्वी प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के मन में 24 घंटे चिंता रहती है कि गांव के गरीब व्यक्ति, गांव के साधारण व्यक्ति को कैसे सुविधा देने का काम करें, उसके दरवाजे तक विकास की किरण को कैसे पहुंचाने का काम करें, दूसरी तरफ जहां भी कांग्रेस के समर्थन से सरकार चलती है, उस राज्य को कंगाल करने का काम करती है। मैं बताना चाहता हूं कि आज झारखंड राज्य में कोयले की बिक्री में 30 परसेंट की गिरावट आई है। इसका एक ही कारण है, चूंकि अवैध रूप से जो माइनिंग हो रही है, कोयले की खुदाई हो रही है, उसकी बिक्री अधिक हो रही है, क्योंकि सस्ते दामों पर माफिया उसको बेचने का काम करते हैं। सरकार के जो निर्धारित मूल्य हैं, उस मूल्य में

£ *Exupnged as ordered by the Chair.*

Contents Page

लोग कोयला लेना पसंद नहीं कर रहे हैं। वहां के पुलिस प्रशासन की £ से अवैध कारोबारी, माफिया और अवैध खदान के माध्यम से कोयले की खुदाई करने का काम कर रहे हैं। हाल ही में अवैध कोयला खुदाई के माध्यम से रामगढ़ जिले के कुजू क्षेत्र में चार-चार लोगों की अवैध खदान करते हुए मृत्यु हो गई। वहां के प्रशासनिक पदाधिकारी उसमें इन्वॉल्व रहे। इस प्रकार की स्थिति, परिस्थिति बनी हुई है। मैं चार दिन पहले की बात बताना चाहता हूं। संथाल परगना क्षेत्र का जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, वहां एक संथाली व्यक्ति, एक जुआर, सूर्या हांसदा, जो ऐसे अवैध खदानों का विरोध किया करता था, अवैध कारोबारियों का विरोध किया करता था, जो हमारी प्राकृतिक संपदाएं थीं, जो कोयला है, उसको लूट से बचाने का आंदोलन करता था, 500 गरीब बच्चों को शिक्षा देने का काम करता था, लेकिन जो अवैध कोयला खदान चलाते थे, अवैध कारोबार करते थे, उन लोगों को यह सब बरदाश्त नहीं हो रहा था। वहां के प्रशासनिक पदाधिकारियों की £ से मुठभेड़ दिखाकर उसको गोलियों से छल्ली कर दिया गया था, उसकी हत्या कर दी गई थी। जिन आदिवासियों की बात कांग्रेस करती है, पर जहां भी अवसर मिलता है, तो आदिवासियों के साथ अन्याय और अत्याचार करने का काम करती है, शोषण करने का काम करती है, दोहन करने का काम करती है और आदिवासी जुआर, जिसको विराट स्वरूप में पूरे राज्य में देखा जा रहा था, विराट हृदय का सम्राट था, वैसे ही जुआर की हत्या कर दी गई। उसके परिवार के लोग धहाड़-धहाड़ कर रोने का काम कर रहे हैं। यह कांग्रेस की करतूत है, आरजेडी की करतूत है और इसके समर्थन से झारखंड राज्य में सरकार चल रही है। ये £ की बात करते हैं, तो इन्होंने पूरे क्षेत्र को कंगाल करने का काम किया है। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): आपका समय समाप्त हुआ। आप बैठ जाइए।

श्री आदित्य प्रसाद: सर, मैं बहुत कम बोलता हूं, तो मुझे दो मिनट का समय दे दीजिए। इस संशोधन के होने से क्या फायदा होगा, उसके बारे में मैं चार प्वाइंट बतलाना चाहता हूं। विधेयक के पास होने से पहले क्या होता था और अब क्या होगा, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं। सर, NMET केवल भारत के भीतर सीमित थी, लेकिन इस कानून के बनने से अब भारत में ...(**समय की घंटी**)... भारत के समुद्री इलाकों ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): माननीय सदस्य समाप्त कीजिए।

श्री आदित्य प्रसाद: समुद्री इलाकों में भी मिनरल्स मैगनीज़, कोबाल्ट, निकल्स, टाइटेनियम आदि की खोज संभव होगी। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): श्री मिलिंद मुरली देवरा। आदित्य प्रसाद जी, आप समाप्त कीजिए। धन्यवाद।

£ *Exupnged as ordered by the Chair.*

Contents Page

श्री मिलिंद मुरली देवरा (महाराष्ट्र): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी पार्टी की ओर से इस बिल का समर्थन करता हूं। मैं मानता हूं कि यह जो लेजिस्लेशन है, this is not just a reform in mining policy, as some of the hon. Members before me have spoken about, but it is a strategic imperative to make India's economy *atmanirbhar* in the 21st century.

सर, पूरे विश्व में हर प्रमुख इकोनॉमी net zero future की ओर बढ़ रही है। मैं सबसे पहले माननीय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके नेतृत्व में भारत में भी 2070 तक net zero greenhouse gas emission के लक्ष्य तय किए गए हैं। यह green transition, जो अब होने जा रहा है, इसमें खासकर critical minerals और rare earths की आवश्यकता है। सर, critical minerals और rare earths को लेकर लोगों में कभी-कभी कंफ्यूज़न पैदा होता है कि यह क्या है? मैं critical minerals और rare earths के दो उदारहण देना चाहता हूं। इसमें एक lithium है और दूसरा cobalt है। Lithium एक प्रकार से battery technology की backbone है। हमारे मोबाइल फोन्स हों, electric vehicles हों, लैपटॉप्स हों, bluetooth headphones, जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, जिन लोगों के heart में pacemaker है, उस pacemaker तक में lithium का उपयोग किया जाता है। सर, cobalt भी batteries में एक आवश्यक critical mineral है, जिससे batteries लंबे समय तक काम करती हैं, बेहतर perform करती हैं और जल्दी charge होती हैं। इसके बिना electric vehicles धीमे पड़ जाते हैं और phones भी जल्दी गरम होने लगते हैं।

महोदय, यह बिल बहुत महत्वपूर्ण क्यों है? यह बिल बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है, क्योंकि global demand for rare earths and critical minerals is set to double to over 8,000 tonne by the year 2030. Half of it will be driven by electric vehicles and wind turbines. Very few people know that despite India having the third largest reserves in the world, almost 6-7 million tonne, unfortunately, we only produce less than one per cent of global output. That is why we urgently need to implement mining of rare earths and critical minerals in India. We need to invest in our rare earths mining, processing and the entire value chain to secure India's *aatmnirbharta* and energy security. What this Bill will do which is very critical is that it will secure direct access to mines not just in India but abroad also. It will allow us to invest in processing infrastructure in India. And more importantly, it will reduce our dependence on only one country. This is the most significant point. आज पूरे विश्व में चीन के पास एक प्रकार से, almost 60 per cent global lithium and 70 per cent global cobalt processing और refining की monopoly है। यदि हम दूसरे rare earths का उदारहण लेंगे, तो almost 85 per cent of global rare earths processing happens in China.

महोदय, lithium की जो माइनिंग होती है, वह ऑस्ट्रेलिया में होती है, चिली में होती है और बहुत कम संख्या में चीन में होती है, लेकिन उसकी जो processing और refining है, वह almost 60, 70, 80 परसेंट चीन में होती है। इसका क्या कारण है कि पूरा processing of rare earths has moved to China? 1980s में पश्चिमी देशों - खासकर अमेरिका, ने कहा था कि environmental concerns की वजह से हम mining को चीन में outsource करना चाहते हैं। In fact, in 1985, China officially listed rare earth elements as a strategic resource and

allowed private investment in rare earths mining. मैंने अभी प्रफुल्ल जी से भी कहा कि चीन के पूर्व राष्ट्रपति डेंग शिआओपिंग, जिन्होंने चीन की इकोनॉमी को पूरी तरह से liberalise किया, उन्होंने 1992 में एक बहुत ही ऐतिहासिक बयान दिया था कि मिडिल ईस्ट में तेल है, पर हमारे देश में rare earths हैं। If India in the 80s and 90s had taken concrete steps to secure our foothold in global supply chains of critical minerals, we would have been *aatmnirbhar* by now. Therefore, I am very grateful to the Prime Minister, the Government and my friend Reddy *ji*, the Minister, for bringing this very, very important Bill which will start the process of making India *aatmnirbhar* when it comes to rare earths. आपका जो Critical Mineral Mission है, जिसे आपने 2023 में launch किया था, मैं उसके लिए भी आपको बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं। महोदय, NMET has now been renamed as National Mineral Exploration and Development Trust. We are now enabling India to not only fund exploration in our borders but to also participate in the acquisition and development of critical minerals overseas. I think आपकी जो पीएसयू कंपनी है KABIL, which is a joint venture of NALCO and a few other companies. You are already starting to acquire assets in countries like Chile and Argentina. These are very, very important.

लेकिन मैं माननीय मंत्री जी को एक बहुत इम्पॉर्टेंट सजेशन देना चाहता हूँ कि इस बिल में या जब इस बिल का इम्प्लीमेंटेशन होगा, if the Government can incentivize green mining, eco-friendly mining, and if you can create a fund, an innovation fund, to incentivize green mining and recycling, it will go a long way in securing our access to rare earth minerals. I will give you one very important statistic. जो हमारे सोलर पैनल्स हैं, जो विंड टर्बाइंस हैं, उनका life span is 20 to 30 years. In the next few years, all over the world, life of wind turbines and solar panels will start coming to an end. In fact, in 2026, 9,000 wind turbine blades will be decommissioned globally. In 2030, four million tonnes of solar panels will be decommissioned globally after completing their life span. If we can recycle these critical minerals found in these wind turbine blades and solar panels, we can get access to almost four billion dollars in that one year alone. As we move forward, this will have a huge impact. This may not pertain to your Ministry. It pertains to the Ministry of Environment, and to the Ministry of New and Renewable Energy, but this will help us in mining and, in addition, securing mines in India and overseas. If we focus on recycling of these critical minerals, it will allow us to strengthen our supply chain.

With these words, I only want to thank the hon. Minister and the Government for this very, very important Bill. As I said, this is a decisive step towards our energy independence and our economic independence, and more importantly to reduce our dependence on foreign countries that could be hostile to us. Thank you very much.

Contents Page

श्री मयंककुमार नायक (गुजरात): उपसभाध्यक्ष महोदय, खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2025 आज राज्य सभा में प्रस्तुत हुआ है। मैं इसका समर्थन करता हूँ। हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री, आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के द्वारा आज यह विधेयक पेश किया जा रहा है। देश ने यूपीए सरकार के समय खनन क्षेत्र में हुए घोटालों को देखा है। उस समय के कानून में खदान के आवंटन के लिए ऑक्शन की कोई व्यवस्था नहीं थी, जिसका भरपूर लाभ उठाते हुए, पक्षपाती तरीके से खदानों का आवंटन हुआ, जिसका खामियाज़ा खनन क्षेत्र और पूरे देश की अर्थव्यवस्था को अनेक वर्षों तक झेलना पड़ा।

माननीय प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में, जब 2014 में सरकार बनी, तब कोल खदानों की नीलामी भी शुरू की गई थी। 2015 में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 में संशोधन करके, गैर कोयला खनिजों की खदानों के आवंटन में भी नीलामी प्रक्रिया अनिवार्य बनाई गई। इस पारदर्शी प्रक्रिया को लाने के अच्छे परिणाम देखने को मिले। अभी तक 500 से अधिक गैर कोयला एवं 130 से अधिक कोयला खदानों की नीलामी की जा चुकी है। नीलामी के कारण राज्य सरकारों के राजस्व में भी अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई है। आज देश में सभी खनिजों, विशिष्ट रूप से जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, उनमें भी आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता है। हमारा ध्यान देश में क्रिटिकल मिनरल्स की खोज और खनन को बढ़ाने पर होना चाहिए। क्रिटिकल मिनरल्स हमारे देश के आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। इन खनिजों की उपलब्धता में कमी या उनकी आपूर्ति श्रृंखला में कमजोरी किसी भी देश के विकास के लिए जोखिमपूर्ण हो सकती है। इस संशोधन विधेयक में खनन पट्टा क्षेत्र में पाए जाने वाले अन्य खनिजों को खनन पट्टे में शामिल करने की सुविधा का भी प्रावधान है। यदि शामिल किया हुआ खनिज क्रिटिकल, सामरिक या गहराई में स्थित खनिज है, तो पट्टाधारक को राज्य सरकार को कोई अतिरिक्त देय नहीं देना होगा।

केवल रॉयल्टी देकर इन क्रिटिकल, सामरिक या गहराई में स्थित खनिजों को पट्टाधारक निकाल सकेगा। देश में अनेकों खदानों में खनन पट्टा में लिखे गए खनिजों के अलावा अनेक क्रिटिकल खनिज निकलते हैं, किंतु मौजूदा कानून में खनन पट्टा में नए खनिज शामिल करने में अनेक दिक्कतें हैं। गैर-नीलामी वाले पट्टों में तो नए खनिज शामिल ही नहीं किए जा सकते थे। इन सब दुविधाओं के कारण पट्टेदार द्वारा ऐसे महत्वपूर्ण खनिजों की उपस्थिति की रिपोर्ट ही नहीं की जाती थी। इन दुविधाओं के कारण इस संशोधन विधेयक में प्रावधान किए गए हैं। इस संशोधन विधेयक में खनन पट्टा क्षेत्र में पाए जाने वाले अन्य खनिजों को खनन पट्टे में शामिल करने की सुविधा देने का प्रावधान है और वह देश को क्रिटिकल खनिजों में आत्मनिर्भर बनाने में एक मील का पत्थर साबित होगा।

गहराई में जो स्थित खनिज हैं, जैसे सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, सीसा, निकल, कोबाल्ट, प्लेटिनम समूह के खनिज, हीरे आदि की खोज और खनन सतही खनिजों की तुलना में अधिक कठिन और महंगा होता है। इसके कारण कुल खनिज उत्पादन में गहराई वाले खनिजों की हिस्सेदारी बहुत कम है। देश इन खनिजों के आयात पर काफी हद तक निर्भर है। इस संशोधन विधेयक में गहराई में स्थित खनिज के पट्टाधारक को अपने मौजूदा क्षेत्र में एक संलग्न क्षेत्र शामिल करने हेतु एक बार के विस्तार करने का भी प्रावधान किया गया है। इस विधेयक के पास होने से न्यास की निधि खनिजों के गवेषण के अलावा खनिजों के विकास के प्रयोजनों के लिए उपयोग की

Contents Page

जा सकती है। इसके साथ ही इस निधि का उपयोग क्रिटिकल संसाधन को प्राप्त करने में भी किया जाएगा।

'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास', इन चार नींव पर काम करने वाली हमारी सरकार है। 2047 में विकसित भारत बनाने के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी के स्वप्न को पूरा करने के लिए यह बिल बहुत कारगर साबित होगा। मैं माननीय मंत्री जी. किशन रेड्डी जी को एक विनती करना चाहता हूं कि ड्रोन सर्वे के माध्यम से जो सर्वे होता है, अगर उसमें कुछ इधर-उधर होता है, तो उसको दंडित किया जाता है। मगर जो डीप सर्वे करते हैं, उसमें उनको 10 परसेंट अलाउ किया जाता है। जो ड्रोन सर्वे के माध्यम से सर्वे करते हैं, उनको दंडित करते हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): माननीय सदस्य, आपका बोलने का समय समाप्त हो गया।

श्री मयंककुमार नायक: सर, एक सेकंड। जो डीप सर्वे करते हैं, जो माइनिंग करते हैं, उनको अलाउ करते हैं। उसके संबंध में जो समस्या है, उसका समाधान निकालकर हमें बताने की कृपा करें। इसी के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। भारत माता की जय! वंदे मातरम!

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): Now, Shri Ravi Chandra Vaddiraju. He will speak in Telugu.

SHRI RAVI CHANDRA VADDIRAJU (Telangana): [&] Hon. Vice-Chairman, Sir, I thank you for giving me the opportunity to participate in the debate on The Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2025. I also thank the Hon'ble Minister Shri Kishan Reddy for introducing this Bill.

Minor minerals are far more abundant in our country than major minerals. While India has fewer than 2,000 major mineral mines, there are over 60,000 minor mineral mines. These mines directly and indirectly support the livelihoods of more than 30 million people. However, they remain highly regulated, poorly recognized, and governed by outdated policies. Today, global politics and geopolitics increasingly revolve around minerals. If we fail to harness our country's geological potential through private investment, we risk falling short of achieving the vision of a self-reliant India. Shri KCR implemented several reforms during the last ten years of the TRS Government to revive the granite industry. Slab systems were introduced, and factories were supported through discounts of up to 40%.

Sir, since 2015, 515 major mineral blocks have been put up for auction, yet only 12% have become operational. The scenario for minor minerals is even more concerning. Many unexplored blocks are being auctioned, leading to cartelization,

---

[&] English translation of the original speech delivered in Telugu.

Contents Page

mine closures, and investor withdrawal. To address this, only large blocks with adequate exploration should be auctioned. I urge the hon. Minister to continue the First-Come-First-Served policy for leases under 10 hectares. Evaluating previous leases under the new auction system will help estimate gains in lease numbers, royalty collections, and productivity.

Sir, the Bill rightly proposes inclusion of multiple minerals under a single lease. Leaseholders should be allowed to extract important minerals such as lithium, cobalt, and granite without paying additional royalties. Currently, if other minerals are found in a leased mine, permits for those minerals are often withheld, halting work and causing distress to leaseholders. I, therefore, suggest granting blanket permission to extract all minerals within a leased area. Establishing mineral exchanges would foster a transparent and stable market, reducing middlemen exploitation and ensuring fair prices. Presently, mineral taxes range between 200% and 450%, resulting in over-taxation and a heavy compliance burden that fuels tax evasion and illegal trade. I recommend that tax rates be made revenue neutral.

Regarding Development Mineral Exploration and Technology (DMET), earlier 2% was collected on major minerals, now increased to 3%. Telangana collects 2% SMET on minor minerals, but the funds collected are often parked in bank accounts without being utilized for developmental activities. I Seek clarity on the amounts collected through DMET and SMET, and what percentage is being used for exploration and surveys. A clear action plan is needed for effective deployment of these funds through the proposed DMEDT.

Sir, the granite industry provides employment to several lakh people but faces challenges with Environmental Clearances (EC). When mining leases are granted, EC should be issued for the entire lease period. Currently, EC renewal is delayed or denied due to changes in Government, lack of committees, or alleged violations, causing mine closures. I propose that if a lease is granted for 30 years, the EC should be valid for the same duration. For small-scale granite mines on land below 5 to 10 hectares, which do not generate significant dust, environmental permits should ideally not be required. However, issuing ECs would be a positive step. Moreover, I request that small-scale granite mines under 25 hectares be classified as minor minerals and be exempted from public hearings and requirements for Consent for Establishment (CFE) and Consent for Operation (CFO), as these create unnecessary hurdles. Sir, there have been cases where courts, while imposing fines for EC violations, have ruled in favor of renewal of permissions. However, the Government often fails to renew these permissions promptly, citing Supreme Court directions. My suggestions stem from practical experience, and it is clear that permissions are delayed

Contents Page

excessively. I urge the Central Government to ensure that Environmental Clearances are co-terminus with mining lease periods. The granite and minor mineral industries are largely set up voluntarily by Indian entrepreneurs using their own funds. Foreign companies granted leases have provided fewer employment opportunities compared to local entrepreneurs. Environmental Clearance issues remain a major obstacle for the granite sector. I request the hon. Minister to issue appropriate guidelines to resolve this.

Sir, the State-level committee includes members from Mines and Geology, PCCF, CCLA, Industries, and PCB. Setting up a dedicated cell at the Directorate of Mines and Geology (DMG) headquarters with these members would facilitate faster lease issuance. I also welcome the news that Singareni, besides coal, is exploring other minerals—this is a promising development that will generate additional employment.

Finally, I recommend the formation of a central team under the Ministry of Mines to visit mineral-rich countries such as Canada, Brazil, Australia, South Africa, China, and Kazakhstan to study their RP/PL/ML approval processes. A committee comprising GSI, State DGMSS, Forest, and Revenue department officials should identify mineral deposit areas and declare them as 'Mining Zones' with clear zoning regulations. These areas should be protected from non-mining uses to preserve mineral rights. Like Australia, priority allocation on a first-come, first-served basis, including auctions for fully evaluated mineral blocks, should be introduced. There is an urgent need to increase funding for exploration. Environmental Clearances must be equal in duration to mining leases. Before commencing online auctions, all regulatory approvals including EC, FC, and surface rights must be in place at the State level.

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): माननीय सदस्य, आपके बोलने का समय समाप्त हुआ। आप पढ़ भी रहे हैं।

SHRI RAVI CHANDRA VADDIRAJU: यह मेरा final point है। "Finally, Sir, I thank the Central Government for recognizing mining as a key sector. Through you, Sir, I earnestly request the hon. Minister, who hails from Telangana, to expedite resolution of Environmental Clearance issues, clear pending EC violation cases, and ensure timely lease issuance. Sir, it is a good Bill and we are supporting this Bill. Thank you, Sir."

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): Now Shri Deepak Prakash; six minutes.

Contents Page

श्री दीपक प्रकाश (झारखंड): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हूँ। यह विधेयक इतिहास को रचने वाला है, यह इतिहास बनाने वाला विधेयक है। भारत को स्वाबलम्बी, भारत को आत्मनिर्भर और भारत को 'समर्थ भारत' बनाने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होगी।

महोदय, यह विधेयक MMDR Act, 1957 को प्रासांगिक बनाने के लिए और युगानुकूल बनाने के लिए लाया गया है। इसके लिए मैं सम्मानित मंत्री जी को भी अपनी ओर से साधुवाद देना चाहता हूँ। अब यह भारत, 1957 का भारत नहीं है। अब भारत, मोदी जी के शासन में आगे बढ़ता हुआ भारत है, nation first का भारत है और 'समर्थ भारत' बनने के लिए, पूरे 140 करोड़ जनता का आत्मबल है। इसलिए अब यह दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। अब तो दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के लिए दरवाजे खटखटाने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है।

महोदय, कांग्रेस के कालखंड में भारत दुनिया की ओर देखता था, लेकिन आज दुनिया भारत की ओर देख रही है। यह है - मोदी जी का कमाल, यह है - मोदी जी का मैजिक। अब भारत, solar energy, wind energy और परमाणु ऊर्जा के द्वारा बिजली के उत्पादन के क्षेत्र में एक नया इतिहास रचने वाला भारत बन चुका है। भारत में battery के द्वारा वाहनों का चलना - यह एक सपना लगता था कि भारत में भी इस प्रकार की स्थिति पैदा होगी। मोबाइल के क्षेत्र में भी हम दुनिया के सबसे बड़े manufacturer बनेंगे, यह सपना था। इन सपनों को भारत की सरकार द्वारा, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में साकार किया गया है। हम सब जानते हैं कि इस प्रकार की चीजों के उत्पादन में, चाहे बैटरी हो या बैटरी से चलने वाले वाहन हों, चाहे वह solar energy हो या wind energy हो, इसमें उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की जरूरत पड़ती है। जब उन महत्वपूर्ण खनिज सम्पदा की जरूरत पड़ती है, तो इस विधेयक के माध्यम से खनिज के invention में, खनिज के अन्वेषण में तथा विकास के क्षेत्र में देश की आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा। यह हम ही नहीं मान रहे हैं, बल्कि दुनिया मान रही है कि इस विधेयक के माध्यम से भारत आगे बढ़ेगा और 'समर्थ भारत' बनेगा।

महोदय, यह विधेयक भारत को स्वच्छ ऊर्जा देने का, semi conductor, EV तथा electronic उत्पादों को विकसित करने का, संरक्षित करने का और भारत को आगे बढ़ाने का काम करेगा। यह विधेयक इसलिए भी इस देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लाया गया है। यह विधेयक National Critical Mineral Mission के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। भविष्य में दुनिया की अर्थव्यवस्था, उन तकनीकों पर आधारित होगी, जो lithium, graphite, cobalt, titanium और दुर्लभ खनिजों पर निर्भर करेगी।

महोदय, इस विधेयक के माध्यम से दुर्लभ तथा महत्वपूर्ण खनिजों की माँग को देश से नहीं, विदेश से भी पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

महोदय, कैप्टिव माइंस को और लाभप्रद कैसे बनाया जाए तथा उसमें पूँजी निवेश करने वाले जो लोग हैं, वे कैप्टिव माइंस के माध्यम से कैसे उसको लाभप्रद बनाएँ - यह इस विधेयक की आत्मा है। महोदय, इस संशोधित विधेयक के माध्यम से गहराई से गहराई, जिसको हम डीप सीटेड मिनरल्स कहते हैं, जैसे सोना, चाँदी, हीरा, जस्ता, शीशा जैसे खनिज सम्पदा का केवल

Contents Page

exploration, invention ही नहीं होगा, बल्कि उनका बेहतर डेवलपमेंट भी होगा। इस विधेयक के माध्यम से EL (Exploration Licence) का भी सरलीकरण करने का काम किया गया है।

महोदय, इस विधेयक में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि National Mineral Exploration Trust का दायरा बढ़ाया गया है। अब यह केवल एक्सप्लोरेशन ही नहीं करेगी, बल्कि खनिज विकासों का भी काम करने वाली है। अब यह न्यास देश की भूमि पर ही खनिज सम्पदा का खोज नहीं करेगी, बल्कि समुद्र की गहराइयों में भी जाकर खनिज सम्पदा की खोज करेगी और सशक्त भारत बनाने का काम करेगी।

महोदय, इस विधेयक के माध्यम से केवल देश में ही नहीं, विदेशों में भी जाकर दुर्लभ-से-दुर्लभ खनिज सम्पदा का एक्सप्लोरेशन और उसका विकास किया जाएगा तथा उसके साथ ही वहाँ के खनिज पट्टे भी हमारे नाम होकर, वहाँ की खनिज सम्पदा को यहाँ लाकर भारत की अर्थव्यवस्था को बेहतर किया जाएगा। यह इस विधेयक की सबसे महत्वपूर्ण बात है।

महोदय, अब काँग्रेस का युग नहीं है, अब नए भारत का युग है। मोदी जी के कार्यकाल में खनन क्षेत्र में काफी सुधार हुआ है। यह क्षेत्र पारदर्शी हुआ है तथा घोटाला मुक्त हुआ है। यह है मोदी जी का कमाल। महोदय, नीलामी प्रक्रिया की बात की जाए, तो 547 से अधिक खनिजों के ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): दीपक प्रकाश जी, आपका समय समाप्त हुआ।

श्री दीपक प्रकाशः महोदय, आधा मिनट का समय और दीजिए। मुझे सम-अप करने दीजिए। सर, हमें आपसे बहुत उम्मीद थी कि आप हम लोगों को कुछ तो ज्यादा समय देंगे। सर, मैं समाप्त कर रहा हूँ।

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी)ः आप अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री दीपक प्रकाशः महोदय, पारदर्शी नीलामी के कारण आज राज्य में राजस्व की काफी बढ़ोत्तरी हुई है, जिसके कारण संघवाद मजबूत हुआ है। DM Foundation के माध्यम से 23 राज्यों के 645 जिलों में लाभप्रद कल्याणकारी योजनाएँ मोदी जी के कार्यकाल में चलाई जा रही हैं। ये हैं खनिज सम्पदा के माध्यम से सामाजिक कल्याण के लिए किए हुए काम।

महोदय, काँग्रेस के कालखंड के कोयला घोटाले की बात होती है, जिसको हम 'कोलगेट' के नाम से जानते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि उस वक्त नीलामी कैसे होती थी। ...**(समय की घंटी)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी)ः माननीय सदस्य, कृपया आप समाप्त कीजिए।

श्री दीपक प्रकाशः महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूँ। महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि उस वक्त 'कोलगेट' के समय में आवंटन मंत्रालय से नहीं होता था, आवंटन किसी माध्यम से नहीं होता

था, आवंटन नीलामी से नहीं होता था, बल्कि एक शाही परिवार के घर से चुटका निकलता था और खनिज सम्पदा और कोयले की खानों का आवंटन होता था।

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): धन्यवाद दीपक जी। माननीय श्री प्रफुल्ल पटेल जी।

SHRI PRAFUL PATEL (Maharashtra): Mr. Vice-Chairman, Sir, any country's prosperity is that we See above the earth. You See big buildings, you See factories, you See other developmental projects and you feel that yes, the country has moved forward, it has progressed. But the real wealth of a country is what lies beneath Mother Earth. And, that is why, we have to ensure that the real prosperity which lies below Mother Earth is harnessed to its fullest potential and that will truly make India a great nation. Our friend Milind was just speaking about some rare earths and critical minerals. I would just like to mention something which is very recent. You know the on-going Ukraine-Russia war. And, when President, Zelensky, went to the White House for the first time, the biggest ask from America to President Zelensky was: "I want the rare earths, the critical minerals which are in Ukraine, they should be given to the United States of America."

Right now, we have a trade war going on. There is a tariff issue going on between India and the United States, and, between many other countries of the world and the US. Why is China left out from that extra special treatment which is being now meted out to India? The reason is, they have got rare earths and critical minerals, which was just pointed out by my friend. They are in a position where they can command because they can spoil the entire value chain which is built up across the United States or in any other country just by not supplying those critical elements. Today, in all electronics, I would say, in all hardware, software and all that is being created, there is a very big element of all these rare earths and critical minerals. Today, you really look at space exploration! We are not talking so much about nuclear; we talk about solar energy, wind energy, hydro energy, etc. All that is fine, that has to be done. But, nuclear energy is also a big source of energy in the world. France, a developed country, gets almost 90 per cent of its entire energy from nuclear sources. India also has a very ambitious nuclear energy production programme. All that will require these kinds of critical minerals. You will need uranium; you will need thorium; you will need many other critical minerals which all lie below the Mother Earth. And, that is why, what the hon. Minister has also talked of a Trust in this Bill to create a kind of a fund which will help in exploration, which will help in mapping the critical minerals that are available within India. It is a very welcome step. Today, Sir, you know, there are new technologies, like, aerial mapping. There are planes with all

the technological equipments, sensors and everything, which can map critical minerals, water and any other substance below the surface for miles deep into the Mother Earth. So, these are all new changing, evolving technologies.

सर ,पुराने समय में हम लोग केवल माइनिंग की बात करते थे, कोयले की खदान की बात करते थे या अपने लोहे की खदान ,आयरन ओर्स की बात करते थे। ऐसी कुछ आम बातें हम लोग ज्यादा करते थे ,लेकिन आज विश्व बदल गया है और वह दूसरी दिशा में जा रहा है , इसलिए उसके आधार पर हम देखें कि आधुनिक युग में हम भारत को किस तरह से आगे ले जा सकते हैं। हमारे पास जो संसाधन उपलब्ध हैं, उनका इस्तेमाल हम ज्यादा से ज्यादा करें।

सर ,मैं आखिर में एक बात कहता हूँ। कोयला जैसी चीज़ हमारी जरूरतों को 100 सालों से पूरा कर रही है और वह आज भी उपलब्ध है ,मगर हम सबको यह मालूम है कि कोयले की जो जरूरत आज बिजली उत्पादन या हमारी फैक्ट्रियों में है ,वह20 - 25साल के बाद कम हो जाने वाली है, क्योंकि पर्यावरण और बाकी अन्य चीजों को देखते हुए हम इसका कम इस्तेमाल करने वाले हैं। लेकिन ,भविष्य में कोल बेस्ड मिथेन होगा या उसका कोई और एप्लीकेशन आएगा और उसके लिए हमारी पूरी तरह से अच्छी तैयारी होनी चाहिए। हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि हम अपनी माइनिंग के हिसाब से, हमारे खुद के जो संसाधन हैं, उनको अच्छी तरह से इस्तेमाल करके अपने देश को आगे कैसे बढ़ाएँ। भारत सरकार की एक कंपनी ,रेयर अर्थ लिमिटेड है ,जिसके नाम का ही मतलब है कि हम भी इसके महत्व को समझ रहे हैं ,लेकिन उस महत्व को हम लोगों ने पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं किया है। प्रधान मंत्री जी ने खासकर माइनिंग , क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ के बारे में अपने कई वक्तव्यों में बातें कही हैं। आज हम लोग थोड़ा-बहुत भी परेशानी में इसलिए आते हैं ,क्योंकि हम अपनी फैक्ट्रीज़ के लिए अपनी बहुत सारी वैल्यूज़ और सप्लाई चेंस को पूरा नहीं कर पा रहे हैं और उसकी वजह यह है कि हमारे पास रेयर अर्थ क्रिटिकल मिनरल्स की कमियाँ हैं। इस वजह से दुनिया में कहीं-कहीं पर हमको लोगों के साथ समझौते अपनी इच्छा के विपरीत भी करने पड़ते हैं। हमें उस समय को पार करके आगे जाना है। भारत को सशक्त बनाने के लिए विकसित भारत - 2047 का जो मिशन है ,उसमें खनिज सम्पदा हमारे लिए एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाली है। इसका महत्व आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए है। जब हम 100—200 साल के बाद के भारत को देखेंगे ,तो उसमें आज की बनने वाली यह नीति ,यह कानून ,इसकी बहुत बड़ी महत्ता रहने वाली है।

सर ,मैं अंत में एक बात कहूँगा कि हमारे जो बहुत सारे संसाधन हैं, जब हम उनकी माइनिंग के लिए जाते हैं, तो हमारे पर्यावरण की जो नीति है और एनजीटी वगैरह के जो प्रोसेसेज़ हैं - मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि हम पर्यावरण के साथ कोई खिलवाड़ करें।
लेकिन उसका जो process है, उसमें कहीं न कहीं सरलता लाने की ज़रूरत है। अगर हम लोग इसमें थोड़ा-बहुत काम कर पाएंगे, तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जो आज होनी चाहिए, वे 10-20 साल बाद होती हैं, कुछ लोग उसमें बीच में पड़ जाते हैं, NGOs पड़ जाते हैं, कई vested interests पड़ जाते हैं, एक उद्योजक का दूसरा स्पर्धक होता है, वह उसको रोकता है। इसमें भी कहीं न कहीं सरलीकरण करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आज की जो opportunity है - An opportunity lost today - आज हमको उसका जो फायदा मिल सकता है, वह अगर हमें 20 साल बाद मिलेगा, तो क्या फायदा होगा? 'देर आयद, दुरुस्त आयद' वाली बात

Contents Page

इस मामले में लागू नहीं होगी। इसलिए मेरी विनंती है कि इसमें मंत्रालय विशेष ध्यान दे और पर्यावरण से संबंधित clearances हम जल्दी से जल्दी प्राप्त कर सकें। मैं इस बिल का पूरी तरह से समर्थन करता हूं, इसकी सराहना करता हूं और मंत्री जी को भी इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): श्रीमती सीमा द्विवेदी।

श्रीमती सीमा द्विवेदी (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विधेयक पर बोलने का अवसर प्रदान किया। महोदय, मैं देश के यशस्वी प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने शपथ लेने के बाद इतने महत्वपूर्ण निर्णय लिए, जिन निर्णयों से देश का बहुत हित हुआ और हमारी औद्योगिक नीति को बहुत बढ़ावा मिला।

महोदय, आज जो खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2025 पेश किया गया है, उसके लिए मैं सरकार का अभिनंदन करती हूं और हमारे कर्मठ माननीय मंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूं।

महोदय, देश ने यूपीए सरकार को देखा है कि उनके ज़माने में किस तरह से देश में खनन क्षेत्र में कितने बड़े-बड़े घोटाले किए गए। उस समय के कानून में ऑक्शन से खदानों का आवंटन करने की व्यवस्था नहीं थी, जिसका भरपूर लाभ उठाते हुए अपारदर्शी और पक्षपाती तरीके से खदानों का आवंटन हुआ। जिसका खामियाज़ा खनन क्षेत्र और पूरे देश की अर्थव्ययस्था को अनेकों वर्षों तक झेलना पड़ा।

महोदय, आप जानकार हैं और बुद्धिमान हैं, आप स्वयं ही बहुत कुछ जानते हैं। कांग्रेस के ज़माने में जो कोयले का घोटाला हुआ था, मैं समझती हूं कि इतना बड़ा घोटाला इस देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ। जहां एक तरफ देश में इतना बड़ा घोटाला देखने को मिला, वहीं दूसरी तरफ पूरे देश को कोयला घोटाला होने के बाद अंधेरे का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि कोयले की जबरदस्त [£] होने की वजह से बिजली कटौती हुई थी।

महोदय, माननीय प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनते ही वर्ष 2014 में कोयला खदानों की नीलामी शुरू हुई। वर्ष 2015 में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 में संशोधन करके गैर-कोयला खनिजों की खदानों के आवंटन में भी नीलामी प्रक्रिया अनिवार्य बनाई गई। इस पारदर्शी प्रक्रिया को लाने के अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं। अभी तक 500 से अधिक गैर-कोयला तथा 130 से अधिक कोयला खदानों की नीलामी की जा चुकी है, जिससे उस राज्य में होने वाली नीलामी के कारण राज्य सरकारों के राजस्व में भी वृद्धि हुई है।

महोदय, इन सुधारों ने न केवल भारत के भूवैज्ञानिक सामर्थ्य को उजागर किया है, बल्कि वैश्विक नेतृत्व की तरफ भी हमारा भारत देश आगे बढ़ा है।

[£] *Exupnged as ordered by the Chair.*

महोदय, इस संशोधन विधेयक में खनन पट्टा क्षेत्र में पाए जाने वाले अन्य खनिजों को खनन पट्टे में शामिल करने की सुविधा देने का प्रावधान है। यदि शामिल खनिज क्रिटिकल, सामरिक या गहराई में स्थित खनिज है, तो पट्टाधारक को राज्य सरकार को कोई अतिरिक्त देय नहीं देना होगा। केवल रॉयल्टी देकर इन क्रिटिकल, सामरिक या गहराई में स्थित खनिजों को पट्टा धारक निकाल सकेगा।

महोदय, मैं समझती हूं कि यह बहुत बड़ी सफलता है। हमारे कुछ खनिज ऐसे होते हैं, जो बहुत गहराई में होने हैं, उनको निकालने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन उसके लिए सिर्फ रॉयल्टी का प्रावधान किया गया है।

देश में अनेकों खदानों में खनन पट्टा में लिखे गए खनिजों के अलावा अनेक क्रिटिकल खनिज निकाले जा सकते है, किन्तु मौजूदा कानून में खनन पट्टा में नए खनिज शामिल करने में अनेक दिक्कतें है। इन दिक्कतों को दूर करने कि लिए ही यह विधेयक है। गैर-नीलामी वाले पट्टों में तो नए खनिज शामिल ही नहीं किए जा सकते हैं। इन सब दुविधाओं के कारण पट्टेदार द्वारा ऐसे महत्त्वपूर्ण खनिजों की उपस्थिति की रिपोर्ट ही नहीं की जाती है, बल्कि इन दुविधाओं से बचने के लिए इस संशोधन विधेयक में प्रावधान किए गए हैं।

महोदय, मैं आपसे यह भी कहना चाहूंगी जो हमारे खनिज गहराई में होते हैं, जैसे सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, सीसा, निकल, कोबाल्ट, प्लेटिनम समूह के खनिज, हीरे आदि की खोज और खनन सतही खनिजों की तुलना में अधिक कठिन और महंगा होता है। इसी कारण कुल खनिज उत्पादन में गहराई वाले खनिजों की हिस्सेदारी बहुत कम है। देश इन खनिजों के आयात पर काफी हद तक निर्भर रहता है, क्योंकि ये बहुत ही गहराई में पाए जाते हैं। इनको प्राप्त करने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इस संशोधन विधेयक का सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास का दायरा बढ़ाने वाला है। माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री जी ने 2024-25 के केंद्रीय बजट में क्रिटिकल खनिजों के घरेलू उत्पादन और पुनर्चक्रण को बढ़ाने तथा क्रिटिकल खनिज परिसंपत्तियों के विदेशी अधिग्रहण के लिए राष्ट्रीय क्रिटिकल खनिज मिशन की स्थापना की घोषणा की थी, जो अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ऐसी घोषणा किसी वित्त मंत्री ने इसके पहले कभी नहीं की थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी से राष्ट्रीय क्रिटिकल खनिज मिशन की गई है। राष्ट्रीय क्रिटिकल खनिज मिशन के उद्देश्यों को पूरा करने तथा इसके कार्यान्वयन के लिए वित्त पोषण सुनिश्चित करने हेतु अधिनियम में कुछ संशोधनों की आवश्यकता है। सर, इन्हीं संशोधनों की आवश्यकता को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया कि यह विधेयक हमें लाना ही चाहिए। राष्ट्रीय खनिज न्यास के दायरे और प्रादेशिक क्षेत्र का प्रस्तावित विस्तार, घरेलू सोर्सिंग और विदेशों में महत्वपूर्ण खनिज परिसंपत्तियों के अधिग्रहण दोनों के माध्यम से अपनी महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला को प्राप्त करने में सरकार के फोकस में सहायक सिद्ध होगा। मुझे आशा है कि इस खनिज क्षेत्र में दूरगामी परिणाम लाने वाले इस संशोधन का यह सदन एक स्वर में समर्थन करेगा। महोदय, मैं आपके सामने कुछ प्रभावशाली आंकड़े रखना चाहती हूं। 2014 के पहले हमारा देश कहां था? 2014 में आंकड़ा था वित्तीय वर्ष 2013-14 में, भारत ने ...

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): समाप्त कीजिए।

Contents Page

श्रीमती सीमा द्विवेदी: सर, मैं लास्ट प्वाइंट बोलना चाहती हूं। भारत ने 152 मिलियन टन लौह अयस्क का उत्पादन किया था, जबकि वित्तीय वर्ष 2024-25 में यह संख्या 90 प्रतिशत की चौंकाने वाली वृद्धि के साथ 289 मिलियन टन तक पहुंच गई है। यह सिर्फ वृद्धि ही नहीं, बल्कि यह हमारे औद्योगिक विकास के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। गहराई वाले खदान क्षेत्रों के लिए यह सरकार हमारी पारदर्शी ढंग से काम कर रही है। ...(**समय की घंटी**)... महोदय, जैसा कि हमारे प्रधान मंत्री जी का संकल्प है कि मैं पूरे देश में किसी प्रकार का कोई भी ऐसा काम नहीं करने दूंगा जिससे हमारे देश की साख गिरे। हमारे देश की साख बढ़े, हमारे देश की खनिज संपदा आगे आए और हमारे देश में पारदर्शी ढंग से काम हो, यह संकल्प मोदी जी का है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस बिल का समर्थन करती हूं, धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): Shri Maharaja Sanajaoba Leishemba.

SHRI MAHARAJA SANAJAOBA LEISHEMBA (Manipur): Thank you, Sir, for giving me this opportunity to participate in the discussion of a very important Bill, the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill 2025. First of all, I support the Bill, and my heartfelt congratulation goes to our hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi, for his unwavering reform-oriented approach for all sectors of the economy. If we have a look at the last decade, the reforms carried out in the mining sectors have been nothing short of a revolution, and the results are there for all of us to See. Sir, I am also grateful to the Government of India for bringing this Bill in the Parliament at the right time. While my other colleagues have spoken about how this Bill Seeks to promote mining and production of critical minerals in the country, I wish to draw the kind attention of the Members towards another important aspect of the Bill. Sir, as per current rules, the captive mines are allowed to sell only up to 50 per cent of current year's production after meeting the requirements of captive end-use-plant. However, there are many instances where the old mineral stock which is not usable in end-use-plant, because of its low grade, is lying unused in the leased areas.

Sir, it has been reported that in certain mining districts, more than 50 per cent of the mineral mined in a year is non-plant grade. Over a period of years, this has led to accumulation of large quantities of sub-grade minerals causing space constraints in the mines.

Due to this, a number of issues arise such as sub-optimal mining and the blocking of minerals beneath the dumps. It also poses a significant environmental hazard and mine safety issues. These dumps, which are not usable in end-use plant, have many uses elsewhere. This can be used by beneficiation plants, pellet-making plants or

even in infrastructure projects. The Government has rightly proposed to lift the existing restrictions and empower the State Governments to permit sale of such dumps from these areas. I wholeheartedly acknowledge the positive problem solving approach adopted by the hon. Minister, Shri G. Kishan Reddy, because the Amendment proposed by him would not only increase mineral production and availability of minerals to industries, but also promote scientific and optimal mining and increase the revenue of the State Government. This step will especially benefit the small miners and MSMEs in mining sectors and address the long-standing demand. Apart from this, Amendment in the National Mineral Exploration Trust would help in achieving *Atmanirbhar Bharat* in the critical mineral value chain.

With these few words, I conclude my speech and urge upon all the hon. Members of the House to support this Bill and pass it unanimously. Thank you, Sir.

SHRI G. K. VASAN (Tamil Nadu): Sir, this Bill is the need of the hour for the nation. If India has to play an important role internationally in this field, then the existing framework needs to be modernized, which the Minister has done in this Bill perfectly. I congratulate the Minister. Sir, I would say that this Bill secures our economic future by reducing our dependence on countries like China, because for many things such as electrical devices like car, phones and even laptops, we depend on them. So, we need to be on our own. That means we must encourage mining in India. That is why this Bill is a forward-looking Bill.

Sir, mining would surely create more jobs in the country. We must bring in new technology. The technology must not just be new but also ensure that mining is environment-friendly. That is very important, hon. Minister. I am sure this Bill would resolve pending applications, curb illegal mining and definitely revive investors' confidence. I would like to mention an important aspect here, which is illegal sand mining, especially in Tamil Nadu. It may be there in other States as well. It is a serious issue with widespread environmental and economic consequences. It involves illicit extraction of sand from riverbeds and coastal areas, bypassing regulations and causing significant damage to the ecosystem and the State's revenues.

Sir, due to illegal sand mining, especially in States like Tamil Nadu, I am sorry to say that the groundwater level has depleted. Farmers are facing huge water scarcity. Sometimes in villages, due to the approach of the Government, people do not get even drinking water. That is the plight of our farmers. Rivers like Cauvery, Vaigai, Palar and Thamirabarani have been hugely affected by illegal sand mining.

Contents Page

Sir, to conclude, I would like to say that sand mining in Tiruchi, the Kaveri belt, Thanjavur, Ariyalur, and Vellore, which are important regions for farmers, has affected farmers, in States like Tamil Nadu, 100 per cent. Strict measures have to be taken to curb this. With this, I congratulate the hon. Minister and support the Bill on behalf of my Party, Tamil Maanila Congress (Moopanar). Thank you.

डा. अनिल सुखदेवराव बोंडे (महाराष्ट्र): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आज मंत्री जी और प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी को धन्यवाद भी देता हूँ और अभिनंदन भी करता हूँ, क्योंकि खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2025 विकसित भारत का विधेयक है। आपको पता ही है कि इस क्षेत्र में हमारा देश 2030 तक नई ऊँचाइयों पर पहुँचने वाला है। हमारा टारगेट है - 1.5 बिलियन टन ऑफ कोल, 450 मिलियन टन ऑफ आयरन और 730 मिलियन टन ऑफ लाइमस्टोन।

सर, फाइनेंशियल ईयर 2013-14 में भारत ने 152 मिलियन टन ऑफ आयरन प्रोड्यूस किया था। अब 2024-25 में यह 90 परसेंट बढ़कर 291 मिलियन टन हो गया है। यह दिखाता है कि हमारी इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस कैसी हुई है। सर, हमारा लाइमस्टोन प्रोडक्शन 60 प्रतिशत बढ़ गया है, यानी 450 मिलियन टन पर गया है। यह बताता है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन कैसे बढ़ा है। सर, बॉक्साइट, जो एल्युमिनियम इंडस्ट्री का है, वह 71 परसेंट बढ़कर 25 मिलियन टन हो गया है। यह बताता है कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग केपेबलिटी कैसे बढ़ी है। इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट कोल प्रोडक्शन है, जो 85 प्रतिशत बढ़ गया है। यह बताता है कि प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी इकोनॉमी एंड सिक्योरिटी कैसे बढ़ी है।

सर, महत्वपूर्ण बात है कि यह माइनिंग सेक्टर ऐसा है कि इसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ, तो राष्ट्र की सम्पत्ति बढ़ती है और इसमें भ्रष्टाचार हुआ, तो £ की सम्पत्ति बढ़ती है। 2014 से पहले 1,86,000 करोड़ रुपये का कोल स्कैम हुआ था, जिसके बाद 2014 में लोगों ने प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी को प्रधान सेवक, प्रधान मंत्री बनाया। 2015 में 1957 के रेगुलेशंस बदलकर फर्स्ट कम फर्स्ट के आधार पर नहीं, बल्कि नीलामी की प्रक्रिया से कोल का आवंटन शुरू किया। कोल का आवंटन शुरू करने के बाद, 130 कोल आवंटन हुए, जिनकी वजह से राज्य का राजस्व भी बढ़ा। यानी, £ की जेब में पैसा नहीं गया। इनकी प्रॉब्लम यह थी कि 'न खाता, न बही, जो चोर बोले वही सही।' यूपीए, यानी आज का इंडिया गठबंधन का यह मानना था।

आज मैं इसके ऊपर इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि मोदी जी की सरकार में रिफॉर्म्स भी हुए, इनोवेशन्स भी हुए और इन्क्लूसिव ग्रोथ हुई। आज का बिल स्पेशली एमएसएमई सेक्टर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब हमारा मिनरल प्रोडक्शन कम था, कम प्रोड्यूसर थे, तब वे प्राइस डिटरमाइन करते थे। जो एमएसएमई सेक्टर के लोग थे, ईंट बनाने वाले थे, स्पॉन्ज आयरन यूनिट वाले थे, सेरामिक्स या रिफ्रैक्टरी इंडस्ट्री वाले थे, टेक्सटाइल वाले थे या पेपर मिल वाले थे, उन्हें कुल सप्लाई मिलना बड़ा मुश्किल था। गवर्नमेंट ने कितना भी सपोर्ट किया हो, तब भी कोल नहीं मिलता था। लेकिन अब इस बिल में मिनरल एक्सचेंज का प्रावधान लाया गया है, that

£ *Exupnged as ordered by the Chair.*

Contents Page

will change the situation. एफिशिएंट ट्रेडिंग एक्सचेंज की वजह से माइनर को भी फायदा होगा और एंड-यूज़र को भी फायदा होगा। कॉम्पिटीशन के कारण प्राइस भी डिटरमाइन कर सकेंगे। एमएसएमई की बजटिंग एंड प्लानिंग अच्छी तरह से हो सकेगी। दि मिनरल ट्रेडिंग एक्सचेंजेस - यह फेयर मार्केट प्राइस डिटरमाइन करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। खनिजों की जो सप्लाई एंड डिमांड डायनेमिक्स होती है, यह उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। उसकी वजह से जब एमएसएमई सेक्टर को कोल की सप्लाई मिलेगी या मिनरल की सप्लाई मिलेगी , obviously उससे रेवेन्यू शेयर भी अच्छी तरह से बढ़ सकेगा। यह महत्वपूर्ण बात है कि एमएसएमई सेक्टर के माध्यम से रोजगार भी बढ़ता है ,तो रोजगार बढ़ाने का काम भी इस माध्यम से अच्छी तरह से होने वाला है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, यह जो गैप था, यह एमएमडीआर एक्ट की वजह से, मिनरल ट्रेडिंग एक्सचेंज की वजह से यह गैप भी भरने वाला है। क्या यह सेबी के अंडर आता है? नहीं, अभी तक यह सेबी के अंडर नहीं आता है, लेकिन सेबी की तरह ही एमएमडीआर एक्ट के माध्यम से एक रेगुलेशन मैकेनिज़्म, एससीआरए जैसा ही निर्माण हो सकता है और सेबी भी उसको रेगुलेट कर सकती है। ऐसा हुआ, तो यह पूरा पारदर्शी क्षेत्र होगा और पारदर्शी क्षेत्र होगा, तो देश की संपत्ति भी बढ़ेगी, राज्य का राजस्व भी बढ़ेगा और एंप्लॉयमेंट और लोकल इकॉनमी भी बढ़ेगी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मुझे आज आश्चर्य हुआ कि जिन्हें पहले यूपीए बोलते थे, वह आज की इंडी है, वे यहां से भाग गए, यहां से पलायन करके चले गए हैं, क्योंकि उनको मालूम था कि हर एक जन कोल स्कैम को याद करने वाला है। वह कोल स्कैम जिंदगी में अब भारत में कभी होने वाला नहीं है, क्योंकि मोदी जी ने ट्रांसपेरेंसी को सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर रखा है। सिंधु का जल £ की अनुमति देने वाले वे लोग खुद कोयले की £करते थे और आज ऐसा इस भारत में नहीं हो सकता है, क्योंकि मोदी जी का नेतृत्व है। इसलिए मैं बिल का समर्थन करता हूं और अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): Now, Shri Masthan Rao Yadav Beedha; three minutes.

SHRI MASTHAN RAO YADAV BEEDHA (Andhra Pradesh): Sir, on behalf of our Telugu Desam Party and our leader, Shri Chandrababu Naidu Garu, I rise to speak on the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2025. This Bill is a timely reform in the governance of our mineral resources as our country positions itself for rapid industrialisation, energy transition and global competitiveness. The Bill Seeks to modernise the existing framework, address gaps in exploration and licensing and unlock the potential of critical minerals that are vital for our future, in line with our hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi's, vision of *Atmanirbhar Viksit Bharat* by 2047.

£ *Exupnged as ordered by the Chair.*

I would like to commend our hon. Minister, Shri G. Kishan Reddy, for providing the necessary support via this Bill for India's emergence as a global player in the mining sector. This Bill deserves appreciation on several counts. It embraces co-operative federalism by empowering the States to take faster decisions on licences. It adopts global best practices by introducing Mineral Exchanges that align India with the international benchmarks like the London Metal Exchange. It strengthens our strategic autonomy, ensuring that India is less dependent on imports for critical minerals. It balances the Ease of Doing Business, and above all, it sends a clear signal of investor confidence that India is committed to modernise its mineral sector with transparency and accountability.

Coming to my home State of Andhra Pradesh, this Bill opens major opportunities. While the Central Government has been driving progressive reforms, Andhra Pradesh's mining sector faced severe setbacks in the last five years under the previous State Administration. Their so-called 'free-sand' policy was disastrous as it resulted in widespread environmental destruction, including riverbed degradation, and led to an estimated loss of over Rs.7,000 crore, but today, under the dynamic leadership of our new Chief Minister, Shri Chandrababu Naidu Garu, things are finally turning around. We are bringing transparency and efficiency back. Our new Minor Mineral Policy, 2025, will resolve nearly 1,900 pending cases through a One-Time Settlement Scheme. By reviving the first-come, first-served policy for the minor minerals, we are encouraging new entrants and competition, while continuing transparent auctions for major minerals. These steps are designed to dismantle the corrupt system of the past and restore the mining sector as a key driver of Andhra Pradesh's economy. With these words, on behalf of the Telugu Desam Party, I wholeheartedly support this Bill. Thank you, Sir.

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): श्रीमती धर्मशीला गुप्ता।

श्रीमती धर्मशीला गुप्ता (बिहार): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आपका आभार। मैं आज इस सदन में माननीय प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रस्तुत खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2025 के समर्थन में बोलने का अवसर पाकर स्वयं को सौभाग्यशाली मानती हूं। साथ ही मैं केन्द्रीय कोयला मंत्री, श्री जी. किशन रेड्डी जी का भी धन्यवाद करती हूं कि इनके नेतृत्व में हमारे भारत की अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, देश ने यूपीए शासन काल में खनन क्षेत्र में बड़े-बड़े घोटाले देखे हैं। उस समय पारदर्शिता का अभाव था, नीलामी की कोई व्यवस्था नहीं थी और खदानों का आवंटन पक्षपातपूर्ण होता था। इसका खामियाजा केवल खनन क्षेत्र ही नहीं, बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था ने भुगता है। 2014 में माननीय प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में जैसे ही

एनडीए की सरकार बनी, खनन क्षेत्र में पारदर्शिता की क्रांति आ गई। 2014 से कोयला खदानों की नीलामी शुरू हुई और 2015 में MMDR Act में संशोधन कर गैर-कोयला खनिजों की खदानों के लिए भी नीलामी प्रक्रिया अनिवार्य कर दी गई। परिणामस्वरूप अब तक 500 से अधिक गैर-कोयला खदानों और 130 से अधिक कोयला खदानों की नीलामी की जा चुकी है। इस पारदर्शिता ने राज्य सरकारों के राजस्व में अभूतपूर्व वृद्धि की है। 2021 में माननीय प्रधान मंत्री जी ने 50 प्रतिशत खनिज को open market में बेचने का निर्देश दिया। मैं सदन को बताना चाहती हूं कि 2009 से 2014 में जो घोटाले हुए थे, उनमें 1,86,000 करोड़ का घोटाला भी था, जिसे 'Mother of all scams' कहा गया था। यह देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा था।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आज दुनिया की अर्थव्यवस्था तेजी से बदल रही है। Electric vehicles, solar energy और hydrogen economy जैसे भविष्य के उद्योग Lithium, Nickel, Cobalt, Titanium और Rare Earth Elements जैसे खनिजों पर आधारित हैं। माननीय प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत critical minerals में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अग्रसर है। यह संशोधन विधेयक critical, सामरिक और गहराई में स्थित खनिजों को मौजूदा खनन पट्टों में शामिल करने का प्रावधान करता है। इससे निवेशक और पट्टेदार नए खनिजों की खोज और उत्पादन में रुचि लेंगे।

माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं उस समय की बात करना चाहती हूं, जब बिहार और झारखंड एक राज्य थे। बिहार की बेटी होने के नाते मैंने उस काल को नजदीक से देखा था, जिस समय बिहार की पूर्व की सरकार ने एक तरह से बिहार और झारखंड की खनिज संपदा को £ का काम किया था, जिससे हमारे राज्य और देश की अर्थव्यवस्था पर काफी गहरी चोट लगी थी। झारखंड को देश की mineral capital कहा जाता है। यहां कोयला, लौह अयस्क, तांबा, यूरेनियम, सोना और क्रोमाइट जैसे खनिज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। बिहार में भी गया, नवादा, जमुई और कटिहार जिलों में मीका, ग्रेनाइट और पत्थर के विशाल भंडार हैं। झारखंड के पास देश के 40 प्रतिशत खनिज भंडार हैं। लेकिन यूपीए शासन में इन राज्यों की जनता गरीबी और बेरोजगारी से जूझती रही। आज माननीय मोदी सरकार की नीलामी आधारित प्रणाली और नए संशोधन से झारखंड और बिहार में खनन आधारित उद्योग, रोजगार और राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

माननीय उपसभाध्यक्ष जी, यूपीए सरकार ने जिस क्षेत्र को घोटालों और अव्यवस्था में धकेल दिया था, उसे आज मोदी सरकार ने पारदर्शिता, आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय हित के मार्ग पर आगे बढ़ाया है। माननीय प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2025 भारत को खनिज सम्पदा में आत्मनिर्भर बनाएगा। यह बिहार और झारखंड जैसे खनिज-संपन्न राज्यों को नई ऊर्जा देगा और भारत को अगली औद्योगिक क्रांति में अग्रणी बनाएगा, इसलिए मैं पूरे विश्वास और गर्व के साथ इस विधेयक का समर्थन करती हूँ और आदरणीय प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व को हृदय से साधुवाद देती हूँ, धन्यवाद।

£ *Exupnged as ordered by the Chair.*

Contents Page

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): श्री रामजी।

श्री रामजी (उत्तर प्रदेश): मान्यवर, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे The Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2025 पर बोलने का अवसर दिया। इसके साथ ही, मैं अपनी पार्टी की मुखिया, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ।

मान्यवर, Mines and Minerals Bill, 2025 निश्चित तौर से एक महत्वपूर्ण बिल है, लेकिन मैं इसके कुछ गम्भीर बिंदुओं पर भी सदन का ध्यान लाना चाहता हूँ। अगर Mines and Minerals पर regulation खत्म कर दिया जाएगा, तो इसके गंभीर परिणाम इस तरह से होंगे - हम सबको मालूम है कि भारत देश के अन्दर जो भी मिनरल्स मिलते हैं, तो कहीं पर वह फॉरेस्ट लैंड होती है, कहीं पर फर्टाइल लैंड होती है, कहीं माउंटेंस होते हैं, तो कहीं रिवर होती है। जहां भी माइंस बनाए जाएंगे, मिनरल्स निकाले जाएंगे, तो निश्चित तौर से वहां पर बड़ी तबाही होती है, डिस्ट्रक्शन किया जाता है। जैसे - फॉरेस्ट को काटा जाएगा, फर्टाइल लैंड को तबाह किया जाएगा। उसके पश्चात् एक बड़ी तबाही का दौर भी शुरू होता है। इसलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर लाना चाहता हूं कि जो क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, ये निश्चित तौर से आज हमारे लिए गम्भीर और अति आवश्यक भी हैं, क्योंकि आज पूरे देश के अंदर जिस तरह से इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का दौर शुरू हो रहा है, लिथियम बैटरीज़ का दौर शुरू हो रहा है, तो इनकी जरूरत भी हमारे लिए है, लेकिन इसका मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। अगर हम इसका दोहन कर रहे हैं, हम अपने फॉरेस्ट को काट रहे हैं, माउंटेंस को काट रहे हैं, बड़े स्तर पानी बर्बाद कर रहे हैं और जिस तरह के मिनरल्स निकाल रहे हैं, तो इसका यूज़ भारत के अंदर ही किया जाए, न कि बड़ी-बड़ी कंपनियां अपनी प्रॉफिट मेकिंग के चक्कर में उनको यहाँ से निकाल कर बाहर की तरफ भेजना शुरू कर दें। उससे हमें बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। बाहर की कंट्रीज के अंदर, जहां भी तेल निकलता है, तो जहां से तेल निकलता है, जहाँ से मिनरल्स निकलते हैं, वहां पर कोई फर्टाइल लैंड नहीं होती है, वहाँ या तो रेगिस्तान होता है या वहां बारिश नहीं होती, पानी नहीं होता है या वहां फॉरेस्ट नहीं होता, तो उनके लिए यह ईज़ी होता है, लेकिन हमारे लिए यह ईज़ी नहीं है। हम बहुत तबाही भी झेलते हैं। जिस तरह आपने देखा कि हसदेव के अंदर, वहां से कोयला निकालने के लिए, जंगल काटे गए, लाखों पेड़ काटे गए, तो इसमें भारी तबाही का दौर देखने को मिला। जंगली जानवर, पंछी तक बर्बाद हो गए, तबाह हो गए।

मान्यवर, मैं इस बात को लेकर अपनी चिंता व्यक्त कर रहा हूं, क्योंकि अगर इस तरह के काम हुए, तो निश्चित तौर से हम बहुत बड़े नुकसान की तरफ भी जाएंगे। माननीय मंत्री जी यहाँ बैठे हैं। मैं इनके सामने किसानों की एक बड़ी छोटी सी बात भी लेकर आया हूं। रीवा, सतना और मध्य प्रदेश का कुछ पार्ट है, जहां पर बहुत सारी सीमेंट की फैक्ट्रियां लगी हैं। वहां पर सरकार जमीन लेती है और जमीन से 5 फुट मिट्टी निकाल कर, वहां सीमेंट बनाने के लिए जो रॉ-मटीरियल होता है, जो लाइमस्टोन होता है, वह निकाला जाता है। उसके बाद उन सारी की सारी जमीनों पर, वे जो सीमेंट फैक्ट्रियां हैं, वे फिशिंग करती हैं, मछलियां पालती हैं और कुछ अन्य काम भी करती हैं। अगर वह जमीन उन किसानों को मिल जाए, तो उनका यह कहना है कि वहाँ

Contents Page

से जो 5 फीट मिट्टी निकाली गई है, हम उसमें दोबारा 5 फीट मिट्टी डाल कर उस पर खेती भी कर सकते हैं। अगर वहाँ खेती नहीं भी होगी, तो उन जमीनों पर किसान मछलियों का उत्पादन भी कर सकते हैं, ताकि वहाँ उनके पास लाइफटाइम के लिए कोई अर्निंग का स्रोत हो जाए। मैं इन्हीं बातों की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान लाना चाहता हूं, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत!

SHRIMATI KIRAN CHOUDHRY (Haryana): Sir, I rise in support of this historic Bill. It is a much-needed Bill, a very forward-looking reform, which had been hanging fire for a very, very long time. This Bill is not just about minerals; it is about securing India's economic security, our future and ensuring that development is both transparent and sustainable.

India is blessed with vast mineral wealth. In fact, we are the third largest in the world and yet, for decades, unfortunately, our mining sector has been constrained by outdated laws, fragmented leases and lack of accountability. This Bill is very important because it addresses the gaps between all these lacunae.

First of all, inclusion of critical and strategic minerals like lithium, cobalt, nickel and graphite into existing leases without imposing additional financial burden is a game-changer. These minerals are indispensable for electric vehicles, renewable energy, semi conductors and defence manufacturing. Because of the dynamic leadership of our hon. Prime Minister, this Bill is encouraging their production within India. We will reduce our dependence on imports, save precious foreign exchange and enhance our national security. This is another step towards *Viksit Bharat*.

Sir, we all know about the condition that we faced a few months back because of geopolitical situation all around the world. There are so many minerals which are imported from other countries. We have to rely on them, and sometimes to our own detriment. But by bringing in such a Bill, we will ensure that we get these minerals indigenously out of our own soil, so that in future we are not dependent on these foreign powers and we save foreign exchange also.

The expansion of National Mineral Exploration Trust into the National Mineral Exploration and Development Trust is also a step forward. With higher contribution, we will generate more resources for exploration, reclamation and welfare measures for the common man. And, importantly, this fund can now be utilised even for offshore and overseas projects and thereby it will secure our global supply chain for our country.

The Bill removes artificial ceiling that captive mines could only sell 50 per cent of the output. I don't understand why this was done. This step will lead to optimal utilisation of resources, higher State revenues and more employment. Likewise, allowing sale of mineral dumps, which had hitherto been lying as waste and which

Contents Page

were being pilfered, will now generate more revenue and will bring in more value to the States. This Bill gives the States stronger tools to regulate this sector. The establishment of Mineral Exchanges will bring transparency, efficiency and fair pricing and eliminate cartelisation which was happening till now in a very big way. We know that in the mining sector, there is a very big mafia that works and the black market practices that fuel illegal mining. With digital monitoring and clear rules for including minor and major minerals, the States will be better empowered to curb exploitation and protect the environment which is the need of the hour. And this is what our hon. Prime Minister is looking forward to.

Sir, in the end, I would say, equally important is that the Bill balances development with sustainability, which is most important. By promoting scientific exploration and sustainable mining, it ensures that we leave something for future, and that future generations are not entirely deprived of it. It also provides for community participation and welfare of people in the mining-affected regions.

In fact, Sir, this is a landmark reform. I would like to congratulate the hon. Minister on bringing this Bill. Under the dynamic leadership of our hon. Prime Minister, whose visionary thinking has brought us to this state that such legislations are being brought forward, it will help this country in the future towards the goal of *Viksit Bharat*. This Bill ensures that revenues for the States will be up. It will curb illegality. It will uphold ecological balance. I, therefore, wholeheartedly support this Bill. I would request the entire House to pass this Bill unanimously. Thank you very much, Sir.

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): धन्यवाद। श्री महेंद्र भट्ट।

श्री महेंद्र भट्ट (उत्तराखंड): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपका हृदय से आभारी हूँ कि आपने मुझे आज केन्द्रीय मंत्री, जी. किशन रेड्डी जी द्वारा प्रस्तुत, "खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2025" पर बोलने का अवसर प्रदान किया।

महोदय, परमपिता परमात्मा ने बहुमूल्य वस्तुओं को हमसे काफी दूर छुपाकर रखा हुआ है और इस देश की तकनीक और विभिन्न प्रकार की वैज्ञानिक परिस्थितियाँ ही हमें उस स्थान तक पहुँचा सकती हैं। मैं कह सकता हूँ कि देश के यशस्वी प्रधान मंत्री, आदरणीय नरेन्द्र भाई मोदी जी ने देश के समग्र विकास के लिए खनिज का जो महत्व समझा है, उसके आधार पर ही इस संशोधन का महत्व है। इस विधेयक में संशोधन पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले भी 2015, 2016 और 2023 में इसके तहत अनेक संशोधन किए गए। इन संशोधनों के उद्देश्य होते हैं, क्योंकि समय, काल और परिस्थितियों के अनुसार अनेक नई तकनीकें आती हैं। चूंकि खनन के लिए हर वर्ष, हर समय नई तकनीकें आती हैं और उनके माध्यम से हम उन वस्तुओं को प्राप्त कर सकें, जिनको आज भी परमपिता परमात्मा ने दूर स्थानों पर रखी हुई हैं, इसी उद्देश्य को ध्यान में

Contents Page

रखकर समय, काल और परिस्थिति के अनुसार संशोधनों की आवश्यकता पड़ती है। इसके तहत, परमाणु खनिज के खनन के लिए निजी क्षेत्र की व्यवस्था करना, अन्वेषण लाइसेंस की नीलामी करना, अधिकतम क्षेत्र में गतिविधियों की अनुमति देना और अन्वेषण लाइसेंस हेतु प्रोत्साहन देना आदि प्रमुख रूप से इन संशोधनों में स्थापित किए गए हैं।

महोदय, खनन उद्योग देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखता है और उसमें इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसको विनिर्माण और बुनियादी ढांचा क्षेत्र की रीढ़ की हड्डी कहा जा सकता है। भारत में लौह अयस्क का उत्पादन विश्व में चौथा स्थान रखता है। भारत के खनन में लौह अयस्क का हिस्सा 50 प्रतिशत है। आजकल खास तौर पर, स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी के लिए खनिजों की माँग बढ़ रही है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि ऐसा लगता है कि वर्ष 2040 तक खनिजों की मांग में 500 प्रतिशत की वृद्धि इस रूप में होगी और यह वृद्धि इसी उद्देश्य के साथ होगी कि स्वच्छ ऊर्जा को प्रोत्साहित किया जा सके।

महोदय, इलेक्ट्रिक वाहनों, पवन टर्बाइनों और सौर ऊर्जा प्रणालियों जैसी स्वच्छ ऊर्जा की आवश्यकताओं में खनिज की उपयोगिता बढ़ी है। मुझे ध्यान है कि जब यूपीए की सरकार थी, तो उस समय हुए कोयले घोटाले का यहाँ अनेक बार जिक्र आया है। मैं उस विषय पर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन यह कहना चाहता हूँ कि तब देश की खनन नीति इस प्रकार की नीति बन गई थी कि अपने चहेतों को जिस प्रकार से बिना नीलामी के ही खनन के पट्टे दिए जाते थे, देश ने उस दृश्य को भी देखा है। मैं प्रधान मंत्री जी और भारत सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगा कि अब खनन की नीति को पारदर्शी तरीके से बनाया गया है, जिसकी चर्चा मेरे से पूर्व भी की गई है। इसके तहत 500 से अधिक गैर-कोयला एवं 130 से अधिक कोयला खदानों की नीलामी की गई, जिससे राज्यों का राजस्व बढ़ा है। मैं इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहूँगा।

महोदय, आज क्रिटिकल खनिजों में देश की आत्मनिर्भरता बहुत आवश्यक हो गई है। उसके लिए क्रिटिकल मिनरल्स के रूप में लिथियम, कोबाल्ट, ग्रेफाइट, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ये सभी खनिज स्वच्छ ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण हैं। इनका उपयोग इलेक्ट्रिक वाहनों, सेमीकंडक्टर, स्मार्ट फोन, सोलर पैनल, पवन टर्बाइन तथा रक्षा उपकरणों के लिए निश्चित रूप से आवश्यक है। इनकी आवश्यकता दिन-पर-दिन बढ़ रही है, इस दृष्टिकोण से मैं कह सकता हूँ कि ये बहुत आवश्यक हैं और इस विधेयक का संशोधन भी इसी उद्देश्य से रखा गया है।

महोदय, ऐक्ट के तहत जब एक क्षेत्र में किसी विशिष्ट खनिज के लिए पट्टा दिया जाता है, तो उस क्षेत्र में पट्टाधारक अन्य खनिजों को नहीं निकाल सकता है, लेकिन इस विधेयक के माध्यम से यह प्रावधान किया गया है कि इसके तहत अब पट्टाधारक को राज्य सरकार को कोई अतिरिक्त देय नहीं देना होगा और वह पट्टाधारक उस क्षेत्र में अन्य खनिजों का भी खनन कर सकता है। अब पट्टाधारक केवल रॉयल्टी देकर क्रिटिकल, सामरिक या गहराई में स्थित खनिजों को निकाल सकता है, जिनमें सोना तथा चांदी जैसे खनिज भी सम्मिलित हैं। इस संशोधन विधेयक के माध्यम से पट्टाधारक को खनन के साथ-साथ सभी क्रिटिकल खनिजों को निकालने की अनुमति होगी, जिससे देश क्रिटिकल खनिजों के मामले में आत्मनिर्भर हो सकेगा। महोदय, अगर कोई क्रिटिकल खनिज किसी रूप में उस खनन पट्टे के दायरे में आता है, तो उसको निकालने की अनुमति पहली बार इस संशोधन के तहत दी गई है।

Contents Page

महोदय, इस संशोधन विधेयक में पट्टाधारकों को खनिज की उपलब्धता के आधार पर एक बार पट्टे में उल्लेखित क्षेत्र को विस्तार करने की सुविधा भी दी गई है। यानी, अगर किसी का पट्टा सीमित है और अचानक किसी स्थान पर क्रिटिकल खनिज प्राप्त होता है, तो उसके लिए इस विधेयक में एक बार विस्तार देने के लिए संशोधन किया गया है।

महोदय, इसमें "राष्ट्रीय क्रिटिकल खनिज मिशन" को बढ़ाने के उपायों को भी सम्मिलित किया गया है, जिससे निश्चित रूप से लाभ होगा। राष्ट्रीय खनिज न्यास के दायरे में प्रादेशिक क्षेत्र का विस्तार, घरेलू उपलब्धता, विदेशों में महत्वपूर्ण खनिज परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण में दो देशों के माध्यम से अपनी महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति पर सरकार के फोकस में भी यह सहायक सिद्ध होगा।

इसमें संशोधन कर खनिज एक्सचेंज का भी प्रावधान किया गया है, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से हम दूसरे देशों के साथ भी सहयोग कर सकते हैं।

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि उत्तराखंड में भी किसी कालखंड में तांबे की बहुत सी खदानें थीं। लम्बे समय से उस पर किसी प्रकार का कोई शोध नहीं हुआ है, न ही उस दिशा में सोचा गया है। अतः मैं माननीय मंत्री जी से यह मांग करता हूं कि एक बार उसकी भी जानकारी जुटाई जाए, उस क्षेत्र में जाकर देखा जाए। यदि उस क्षेत्र में तांबे की खदानें मिलती हैं, तो उससे बड़ी संख्या में देश को लाभ प्राप्त होगा।

महोदय, इस संशोधन विधेयक का समर्थन करते हुए मैं यह कहना चाहूंगा कि आज के युग में हमें और भी तकनीकी खनन की दृष्टि से आवश्यक उपाय करने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी भी देश के लिए स्वच्छ ऊर्जा की दृष्टि से बहुत सी आवश्यकताएं हैं। मैं यह विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि देश के प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी और हमारे माननीय मंत्री जी इस दिशा में निरंतर प्रयासरत हैं। समय-समय पर और भी संशोधन इस विधेयक के अंतर्गत किए जाएंगे। मैं यह कह सकता हूं कि भारत विकसित रूप से खनन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होगा। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): Shri G. Kishan Reddy to reply to the discussion.

कोयला मंत्री; तथा खान मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी): महोदय, इस MMDR के अमेंडमेंट प्रस्ताव पर डा. भीम सिंह से लेकर अयोध्या रामी रेड्डी जी और लगभग 19 महानुभावों ने - आख़िर में महेंद्र भट्ट जी तक - अपने-अपने तरीके से समर्थन करते हुए कंस्ट्रक्टिव सुझाव दिए हैं। मैं सदन में सभी माननीय सदस्यों को, जिन्होंने इस MMDR Amendment Bill पर चर्चा के संदर्भ में अपने विचार प्रकट किए हैं और बिल के संशोधन पर महत्वपूर्ण चर्चा की है, उन सबको धन्यवाद देता हूं।

महोदय, माननीय प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में माइनिंग सेक्टर में 2015 से लगातार ऐसे ऐतिहासिक रिफॉर्म्स लाए गए हैं। इस सेक्टर में five T formula को लेकर मिनिस्ट्री आगे बढ़ रही है। पहला transparency है। Transparency action के तहत माइनिंग मिनिस्ट्री पूरे माइनिंग सेक्टर में पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर रही है। दूसरा, technological advancement है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रोडक्शन बढ़ाया गया है और इस दिशा में आज

माइनिंग सेक्टर देश में आगे बढ़ रहा है। तीसरा trust है। पहले ट्रस्ट नहीं था। आज स्टेक होल्डर्स और जनता का हमारे ऊपर विश्वास बढ़ा है। उसके कारण भारत के माइनिंग सेक्टर में, चाहे कोल हो या other major and minor minerals हों, उनका प्रोडक्शन भी बढ़ा है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी का सीधा उपयोग किया जा रहा है।

हम एक टीम वर्क के साथ काम कर रहे हैं। केंद्र हो, राज्य सरकार हो या स्टेक होल्डर्स हों, सभी एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के साथ काम कर रहे हैं। इसके कारण majority States भारत सरकार और नरेन्द्र मोदी जी के विज़न के आधार पर आज action regime में आए हैं।

Transformation की बात करूं, तो इन सभी विषयों पर कमिटमेंट के साथ काम करने से पूरे माइनिंग सेक्टर में ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। हमने लगातार प्रयास किया है कि भारत का माइनिंग सेक्टर देश की आर्थिक व्यवस्था में और एंप्लॉयमेंट में भी ताकत बना रहे। चाहे जीडीपी में बढ़ता योगदान हो, विकसित भारत का लक्ष्य पूरा करने का संकल्प हो या फिर ग्लोबल प्लेयर बनने का सपना हो, हर एक लक्ष्य में नरेन्द्र मोदी जी की सरकार दृढ़ निश्चय और निरंतर प्रयास के साथ आगे बढ़ रही है। आज ऐसे पोटेंशियल सेक्टर का देश के लिए सही उपयोग कराने में सरकार प्रयासरत है।

उपसभाध्यक्ष जी, आपको मालूम है कि माइनिंग सेक्टर, चाहे कोल हो, माइन हो, यदि उसके बारे में बात करनी है, तो 2014 से पूर्व इस देश में उनकी क्या स्थिति थी, उसके बारे में बात जरूर करनी चाहिए। अगर उसके बारे में बात नहीं करेंगे, तो असंपूर्ण होगा। 2014 से पहले माइनिंग सेक्टर में भ्रष्टाचार था, भाई-भतीजावाद था, भयानक वातावरण था, mining rights के लिए favourtism से करप्शन बढ़ाया गया। भाई-भतीजा से पोलिटिकल कनेक्शन, selected लोगों को licenses and leases दिया जाता था और पॉलिसी में अनिश्चितता थी। कानून का विवाद था, legal disputes थे, administration paralysis था और माइनिंग सेक्टर बदनाम था। उस समय सत्ता का पूरा दुरुपयोग करते थे। आज भी गूगल में जाकर ...(*व्यवधान*)...

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): आप बार-बार अध्यक्ष जी बोल रहे हैं। अध्यक्ष जी के स्थान पर उपसभाध्यक्ष दर्ज किया जाए।

श्री जी. किशन रेड्डी: सर, "Coalgate" के लिए सर्च करें, तो कोल स्कैम निकलता है। दुनिया के किसी भी कोने से चैक करें, तो कोयला स्कैम निकलता है। आज CAG Report आई और Comptroller and Auditor General of India ने in detail पूरी judgement सुप्रीम कोर्ट में दी है। लगभग 1.86 लाख करोड़ का स्कैम सिर्फ कोल में हुआ है। यह allotment-basis पर block allocation होता था। पार्टी ऑफिस में बैठकर व्हाइट पेपर पर मिनिस्ट्री को चिट्ठी लिखते थे, क्योंकि मिनिस्ट्री allot करती थी। दुनिया में ऐसी कोई कम्पनी नहीं है। उसके बाद allotment होने के बाद कम्पनी का registration किया गया। पहले कम्पनी नहीं थी, बल्कि allotment होती थी, उसके बाद कम्पनी का registration होता था। ऐसा coal scam भारत में हुआ है। उसमें कितना बदलाव किया गया है, उसके बारे में बताने के लिए बहस कर रहे हैं। 2014 से पूर्व भारत में कैसा coal scam था, मिनिस्ट्री कैसे काम करती थी, कैसे सरकार काम करती थी, कैसे coal

Contents Page

blocks, mining blocks का एलॉटमेंट होता था, उसमें नरेन्द्र मोदी जी ने कैसा बदलाव किया है, उसके बारे में मैं बता रहा हूं। करप्शन था; no transparency; no monitoring; no accountability only favouritism, mining mafia, court cases and inquiries उस समय ऐसे अलग-अलग issues होते थे। उसको भारत सरकार ने 2014 के बाद बदला है। 2014 का Supreme Court Judgement दिया है। जजमेंट देकर लगभग 204 allotted coal mines, काम करने वाली कोल माइन्स, जिसको भारत सरकार ने allot किया है, उसको Supreme Court ने रद्द किया। यह बताया गया कि ये mines, minerals or coal हो, यह national property है, किसी की जागीर नहीं है। इसको पूरे देश और देश के हित के लिए, देश के विकास के लिए, देश के गरीब के लिए खर्च करना चाहिए। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने categorically 204 coal mines को रद्द किया।

सर, भ्रष्टाचार को खत्म करते हुए नरेन्द्र मोदी जी की सरकार mining blocks का, जो mining blocks हैं, उसका coal blocks का हो, action regime में लाए हैं। पूरी *transparency* के साथ आज 2014 में इस सेक्टर में revolutionary changes नरेन्द्र मोदी सरकार लाई है। आज़ादी के बाद पहली बार mining sector में असली potential का recognition करके देश के विकास में ला रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि क्या-क्या विकास हुआ है? कुछ आदरणीय सदस्यों ने ओडिशा के बारे में बात की है। ओडिशा के बारे में मैं सब कुछ बताऊंगा। सर, आज complete transparency and action system के द्वारा mining blocks का एलॉटमेंट किया जा रहा है। अनेक रिफॉर्म्स होने के कारण कोल सेक्टर में efficiency बढ़ी है। Public-private partnership mining sector में कंप्टीशन बढ़ा है, जिससे माइनिंग सेक्टर rapidly आगे बढ़ रहा है। माइनिंग सेक्टर में reforms के कारण अपनी विरासत को पारदर्शिता और अधिक सामर्थ्य जोड़कर विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। पिछले 10 वर्षों में किए गए reforms ने mining sector में transparency और efficiency बढ़ाई है।

आदरणीय प्रधान मंत्री जी बार-बार बोलते हैं - 'reform', 'perform', 'transform. महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि आज Coal Ministry, Mining Ministry में यह पूरा 100 per cent लागू हो रहा है। नरेन्द्र मोदी जी के progressive निर्णय के कारण transparency बढ़ी है और private sector को प्रोत्साहन देने के लिए mining activity में proper technology का प्रयोग कर रहे हैं। इन्हीं के कारण आज ease-of-doing business बढ़ा है तथा exploration और mining sector में production बढ़ा है। महोदय, इतना ही नहीं नरेन्द्र मोदी जी के कारण आज राज्य सरकारों का revenue भी कई गुणा बढ़ा है। पिछले 10 वर्षों में - पहले राज्य सरकारों को mining sector में, Mining Ministry के द्वारा Rs. 68,000 crores मिलते थे, जो अब बढ़कर Rs.6,85,142 crores हो गए हैं। अब State Governments को Rs.6,85,142 crores मिल रहे हैं। इसका सिर्फ ओडिशा ही सदस्य नहीं है। ओडिशा को हर साल Rs.50,000 crores से ज्यादा revenue मिलता है - यह बात आदरणीय सदस्यों को मालूम है। State Government को जो 100 per cent royalty जाती है, उसमें केंद्र सरकार 1 रुपया भी नहीं लेती है। यह रॉयल्टी लाए हैं। महोदय, State Government को 100 per cent premium मिलता है और इसमें से 1 रुपया भी केंद्र सरकार नहीं लेती है। महोदय, राज्य सरकार 100 per cent DMF लेती है, इसमें 1 रुपया भी Central Government नहीं लेती है। इसके अलावा transit fees, rural education cess, primary

education cess, public works and road cess, development cess, environmental cess, Covid-19 cess, management cess जैसे अलग-अलग cesses इस mining sector के द्वारा, चाहे coal sector में हो, चाहे minerals में हो, State Government लेती है। केंद्र सरकार को mining में GST से सिर्फ 50 per cent मिलता है।

महोदय, हमारी Mining Ministry में बार-बार चर्चा होती है। केंद्र सरकार सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करती है, बल्कि भारत को विकास के लिए, जिस mineral की जरूरत है, जिस coal की जरूरत है, उसके लिए नरेन्द्र मोदी सरकार काम करती है।

माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूं कि आज India has the fifth largest geological coal reserves. इसमें भारत सरकार ने अभी-अभी production बढ़ाया है, जिसके कारण India is now the second largest coal producer in the world. आज दुनिया में India is now the second largest coal consumer.

महोदय, गेवरा हमारे छत्तीसगढ़ में है। दुनिया की second largest coal mine गेवरा (छत्तीसगढ़) है। India has a coal production of 1 billion tons, लेकिन इस साल पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में 1 billion tons cross हुआ है, इस साल coal dispatch भी record level पर हुआ है। महोदय, इसके कारण इस साल coal consumption भी बढ़ा है। Coal contributes 55 per cent India's overall energy. आज भारत में कोल के द्वारा 74 per cent of power generation हो रहा है। इतना ही नहीं, बल्कि power demand रहने के बाद भी इस साल coal imports कम हुआ है। इस साल नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार कोल इम्पोर्ट 8 per cent कम हुआ है। इस साल कोल इम्पोर्ट के लगभग 8 million dollars, Rs.60,000 crores बचे हैं - foreign exchang. महोदय, इतना ही नहीं इस साल non-regulated sector में भी coal production बढ़ने के कारण import कम हुआ है। पहले power plants में 10 दिन से लेकर 17 दिन तक coal stocks रखते थे।

आज सभी पावर जेनरेशन कम्पनीज़ के पास 27 डेज़ के पावर कोल स्टॉक्स है। महोदय, कितना पावर प्रोडक्शन हुआ, कितना ट्रांसपोर्ट किया गया, पावर जेनरेशन कम्पनीज़ के पास कितना कोल है, आदरणीय प्रधान मंत्री जी हर दिन यह रिपोर्ट लेते हैं, क्योंकि अगर कभी नेचुरल कैलेमिटी भी है, तो भी एक मिनट के लिए भी पावर रुकनी नहीं चाहिए। महोदय, मुझे यह मालूम है, मैं किसान का बेटा हूँ, हैदराबाद से आता हूँ, कि देश में कितनी पावर शॉर्टेज होती थी, लेकिन आज किसी भी स्टेट में पावर शॉर्टेज नहीं है। वे जितनी भी पावर जेनरेशन करना चाहते हैं, हमारी मिनिस्ट्री उन्हें उतना कोल देने के लिए तैयार है।

उपसभाध्यक्ष जी, आज भारत के आयरन ओऱ प्रोडक्शन को 2014 के आंकड़ों से कम्पेयर करें, तो इन दस सालों में आयरन ओऱ, जिससे स्टील बनाते हैं, उसका 90 परसेंट प्रोडक्शन बढ़ा है। 2014 में इसका प्रोडक्शन 152 मिलियन टन था, जो आज लगभग 289 मिलियन टन हो गया है। महोदय, लाइमस्टोन से सीमेंट बनाई जाती है। इन दस सालों में इसका 60 परसेंट प्रोडक्शन बढ़ा है। 2014 में यह 281 मिलियन टन था, आज 450 मिलियन टन है। बॉक्साइट का प्रोडक्शन 71 परसेंट बढ़ा है। कोल प्रोडक्शन 81 परसेंट बढ़ा है। आज एल्युमिनियम प्रोडक्शन 147 परसेंट बढ़ा है। आने वाले समय में मिनरल प्रोडक्शन कई गुणा बढ़ने की संभावना है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अन्दाजा लगा रहे हैं कि 2030 तक भारत को 450 मिलियन टन आयरन ओऱ चाहिए। 2030 तक

Contents Page

730 मिलियन टन लाइमस्टोन चाहिए। 2030 तक 37 मिलियन टन बॉक्साइट चाहिए। कोल 1,533 मिलियन टन चाहिए। हम स्टील में भी सेकंड प्लेस पर हैं।

महोदय, मैं बताना चाहता हूँ कि आज भारत देश के रेवेन्यू के लिए सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ कोल, मिनिस्ट्री ऑफ माइनिंग ही काम नहीं कर रही हैं। आज हम अलग-अलग रिफॉर्म्स लाए हैं, जिनके कारण कोल प्रोडक्शन, मिनरल प्रोडक्शन और अलग-अलग प्रोडक्शन बढ़ा है। आज कोल इंडिया सिर्फ कोल तक ही सीमित नहीं है। एनएलसी इंडिया लिमिटेड सिर्फ लिग्नाइट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कोल का एनएलसी इंडिया लिमिटेड रिन्यूएबल एनर्जी पर भी काम करता है। इसने 1 गीगावॉट रिन्यूएबल एनर्जी जेनरेट की है। कोल प्रोडक्शन के क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा पीएसयू भारत का कोल इंडिया है। यह दुनिया की सबसे बड़ी कम्पनी है। आज माननीय सदस्य कोल के बारे में बात करते हैं। यह अच्छी बात है। हमारे पास अभी भी 389 बिलियन टन के कोल रिज़र्व्स हैं, जिनमें से अभी तक 20 बिलियन टन निकाले गए हैं। यह अभी भी बहुत बाकी है। कोल के एक्सेसिबल को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके साथ-साथ, आज माइनिंग सेक्टर में भी गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है। इसमें आज अलग-अलग रिफॉर्म्स लाए गए हैं।

महोदय, क्रिटिकल मिनरल को लेकर सभी सदस्यों ने बहुत डिटेल्ड चर्चा करते हुए, चिंता व्यक्त की है। यह जरूरी है। भारत में माइनिंग और मिनरल सेक्टर का मतलब कोल होता था, लाइमस्टोन था, आयरन ओऱ होता था, सैंड होता था, ग्रेनाइट होता था। क्रिटिकल मिनरल को लेकर अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। चूँकि हमारे पास रिज़र्व्स ही कम हैं - हमें यह फैक्ट बताना चाहिए - हम क्रिटिकल मिनरल्स के लिए 100 परसेंट विदेश पर डिपेंड थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बेरिलियम नामक एक क्रिटिकल मिनरल है। चाहे ऑटोमोटिव पार्ट्स हों, डिफेन्स सेक्टर में मिशन्स की तैयारी हो, इलेक्ट्रिक कम्यूनिकेशन्स की तैयारी हो, कोबाल्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हों, बैट्रीज़ हों, एयरोस्पेस सेक्टर हो, कलर्स मैन्युफैक्चरिंग हो, गैलियम हो, सेमीकंडक्टर्स हों, इंटिग्रेटेड सर्किट्स हों, एलईडीज़ हों - ऐसे 24 क्रिटिकल मिनरल्स को भारत सरकार ने आइडेंटिफाई किया और इसके लिए भारत सरकार ने नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में मिशन क्रिटिकल मिनरल्स के नाम पर लगभग 32 हज़ार करोड़ रुपये अभी-अभी अलॉट किए हैं। इन क्रिटिकल मिनरल्स के लिए भारत सरकार 32 हजार करोड़ खर्च करने वाली है।

यह सिर्फ भारत में ही नहीं है। हम विदेश में जाम्बिया, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना जैसी कंट्रीज़ में गए। अर्जेंटीना में फाइव ब्लॉक्स के लिए KABIL नाम का एक पीएसयू बनाया गया है। भारत सरकार ने इसे क्रिटिकल मिनरल्स को विदेश से लाने के लिए बनाया है। कुछ सदस्यों ने कहा कि हमारे मिनरल्स विदेश जा रहे हैं। हमारा कोई मिनरल विदेश नहीं जा रहा है। वह भारत में एग्जॉस्ट होने के बाद जाएगा, मगर हम क्रिटिकल मिनरल्स इम्पोर्ट कर रहे हैं। इसीलिए 24 क्रिटिकल मिनरल्स को भारत सरकार ने 100 परसेंट ड्यूटी फ्री किया है। कोई भी देश से भारत को अगर यह मिल रहा है, तो भारत सरकार एक रुपया भी टैक्स नहीं लेगी, उसे ड्यूटी फ्री लाएंगे। वैसे ही आज क्रिटिकल मिनरल के लिए अर्जेंटीना में KABIL, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पीएसयू, जी-टू-जी बेसिस पर, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेसिस पर चर्चा करके फाइव ब्लॉक्स लिए हैं और एक्सप्लोरेशन शुरू किया है। मेरे ख्याल से एक्सप्लोरेशन नेक्स्ट ईयर, सेकंड ईयर कंप्लीट होगा।

Contents Page

इसमें प्रोडक्शन करके लिथियम लाने वाले हैं। वैसे ही जाम्बिया में भी 9,000 किलोमीटर्स का जो लैंड हमने लिया है, वहां से भी आने वाले दिनों में प्रोडक्शन करके लाने वाले हैं।

नरेन्द्र मोदी जी अभी-अभी लेटेस्ट विदेश के पांच देशों में गए थे। हर देश से सभी विषयों पर चर्चा करने के साथ क्रिटिकल मिनरल के बारे में भी आदरणीय प्रधान मंत्री जी चर्चा करके आए। जब नरेन्द्र मोदी जी कोई टूर करने जाते हैं, तो वे ऐसे ही टूर करने के लिए नहीं जाते हैं, उनमें भारत के विकास का स्वार्थ है। हर विषय पर, कदम-कदम पर भारत के विकास के लिए नरेन्द्र मोदी जी सोचते हैं। आज मैं यह आपके सामने लाना चाहता हूं। विकसित भारत के टारगेट को अचीव करने के लिए इस क्रिटिकल मिनरल मिशन स्थापना की गई है। आज एक प्रोग्रेसिव कदम नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने लिया है। मोदी जी के विज़न्स के अनुसार मिनरल सिक्योरिटी और एनर्जी ट्रांजिशन को परिवर्तन गति देने के लिए यह मिशन लाया गया है। इस मिशन के द्वारा भारत की इकोनॉमी को हर सेक्टर में ताकत मिलेगी। 2014 तक क्रिटिकल मिनरल्स में भारत में कोई काम नहीं हुआ था। अब इसका काम आगे बढ़ रहा है। हम मिशन मोड पर काम कर रहे हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसीज़ के अनुसार इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए लिथियम या सोलर एनर्जी, ऐसे अलग-अलग क्रिटिकल मिनरल्स भारत में ही नहीं, बल्कि सारी दुनिया में तीन गुना, चार गुना बनने वाले हैं। इसमें बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन होने वाला है। हमने इसके लिए अब आरएंडडी शुरू की है। इसके संबंध में एक्सप्लोरेशन के कार्य को बढ़ाने का प्रयास किया है। इसके लिए ट्रस्ट बनाया गया। ट्रस्ट भारत के अंदर काम करता था। अब ऑफशोर में भी एक्सप्लोरेशन करेंगे। पहली बार इस साल नरेन्द्र मोदी जी सरकार ने 13 ब्लॉक्स ऑफशोर के अंदर क्रिटिकल मिनरल्स को आइडेंटिफाई करके ऑक्शन में भी डाल दिया है और अभी ऑक्शन चल रहे हैं। अभी-अभी भारत सरकार क्रिटिकल मिनरल्स के लिए NMET के द्वारा विदेशों में जाकर, अलग-अलग देशों में जाकर वहां की सरकारों से बातचीत करके, वहां भी एक्सप्लोरेशन करके वहां से भी मिनरल लेकर भारत लाएगी। इतना ही नहीं, प्राइवेट सेक्टर में जितने भी भारत के एंटरप्रिन्योर्स हैं, उनको हम प्रोत्साहन दे रहे हैं कि आप विदेश में जाइए, क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक्स में माइनिंग करिए। हम भारत में उस मिनरल को लाने के लिए, प्राइवेट सेक्टर को भी विदेश जाने के लिए इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को प्रोत्साहन कर रहे हैं। यह कार्य भी लगातार हमारी मिनिस्ट्री कर रही है। इसके साथ-साथ लिथियम के लिए अभी-अभी छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में एक्सप्लोरेशन कम्प्लीट करके ऑक्शन भी किया है। जम्मू-कश्मीर जैसे प्रांत में जाकर भी हमने एक्सप्लोरेशन शुरू किया है। फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज के बाद नेक्स्ट ईयर - अभी-अभी मुख्य मंत्री जी से बात की गई है - नेक्स्ट ईयर जनवरी में कम्प्लीट करके ऑक्शन में डालने के लिए चर्चा कर रहे हैं। जितनी जल्दी हो सकता है, हम एक्सप्लोरेशन कम्प्लीट करके, अगर वातावरण ठीक है, तो उस एक्टिविटी में भी जरूर आगे बढ़ने के लिए प्रयास करेंगे।

आदरणीय उपसभाध्यक्ष जी, यह critical minerals में भी हो, coal में भी हो, other mining sector में भी हो, इसके लिए भारत सरकार पूरी तरह से, commitment के साथ काम कर रही है। आज वह अलग-अलग reforms ला रही है। यह reforms का result है। प्रधान मंत्री जी बार-बार बोलते हैं कि कोई भी mining sector गवर्नमेंट की policies के कारण पीछे नहीं रहना चाहिए, दुनिया के साथ आगे बढ़ना चाहिए, दुनिया के साथ competition में बढ़ना चाहिए। दुनिया में जैसे चीन अलग-अलग देशों से minerals अपने देश में ले जाता है, उसी तरह से भारत

Contents Page

सरकार को भी अलग-अलग देशों में जाकर प्रयास करके critical minerals को भारत लाना चाहिए, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है। आज cell phone से लेकर aeroplane तक, electric से लेकर electronics तक, laptop से लेकर space technology तक critical minerals की जरूरत है। Agriculture sector में भी critical minerals के बिना आज fertilizer नहीं मिलता है। इसलिए आज critical minerals की बहुत बड़ी demand हमारे सामने एक challenge है। इसको increase करने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं।

सर, इस साल हमारी exploration agency, GSI के 175 years हो गए। यह 175 years पुरानी है, मगर इसने critical minerals के क्षेत्र में ठीक तरीके से काम नहीं किया। मोदी जी की सरकार के आने के बाद GSI का एक separate division खोल कर critical minerals में हर स्टेट में किस तरह से exploration हो रहा है, इसको देखा जा रहा है। चाहे वह जम्मू-कश्मीर हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, उसका एक target बना कर critical minerals के ऊपर हर महीने monitoring करते हुए GSI के द्वारा successfully exploration करने के लिए हम एक-एक block identify कर रहे हैं। हम आने वाले दिन में उस पर auction भी करेंगे।

उपसभाध्यक्ष जी, इसके साथ-साथ मैं यह भी बताना चाहता हूं कि नरेन्द्र मोदी जी की सरकार में सिर्फ यही काम नहीं किया गया है, बल्कि अलग-अलग विषय पर काम हो रहे हैं। मैंने अभी ज़ाम्बिया की बात की। ज़ाम्बिया सरकार ने भारत सरकार को ज़ाम्बिया में 9,000 sq.km. exploration करने के लिए दिया है। उसी तरह से आज KABIL के द्वारा अलग-अलग देशों में जाकर mining sector में exploration करके minerals लाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं।

उपसभाध्यक्ष जी, इस तरह से अलग-अलग निर्णय लिए गए हैं। आज चाहे coal blocks हों, mine blocks हों, mining करते वक्त जो भी समस्याएं आती हैं, उनको दूर करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ-साथ, मैंने State Government की income के बारे में बताया। वहां DMF के द्वारा अनेक काम किए गए हैं। पहले किसी ने इसके बारे में सोचा नहीं था। वे केवल गांव में जाते थे, गांव के लोगों को हटाते थे, वहां के किसानों को हटाते थे, उस land में mining करते थे और वापस आते थे। आज नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने यह तय किया है और 143 coal mines को mine closure के द्वारा ठीक तरीके से international standard के आधार पर पूरी greenery develop करने के लिए इस साल एक action plan शुरू किया गया है। यह हमारी जिम्मेदारी है। Nature को बचाना नरेन्द्र मोदी जी की सरकार की जिम्मेदारी है। कुछ माननीय सदस्य इसके बारे में बोल रहे थे। बिल्कुल 100 परसेंट हम nature को बचाएंगे। वैसे ही उसके आजू-बाजू के लोग, जो affected people हैं, चाहे वे coal mining से affected people हों, चाहे other mining activities से affected people हों, उनके विकास के लिए भी भारत सरकार ने पहली बार District Mineral Fund के नाम पर एक अलग fund create करके affected people को देने का काम किया है। राज्य सरकारों के द्वारा, जिला कलेक्टर के नेतृत्व में, उस जिले का MP हो, जिले का MLA हो, जिले के Local Body Members हों, उन सभी लोगों को मिला कर DMF दिया गया है। आज मैं बताना चाहता हूं कि नरेन्द्र मोदी जी की सरकार में DMF की स्थापना के बाद DMF के द्वारा देश भर में इन जिलों में 1,15,000 करोड़ दिया गया है। इसी तरह से आज Aspirational Districts हैं। Aspirational Districts में भी DMF Aspirational Districts के नाते DMF के द्वारा लगभग 34,000 करोड़ दिया गया है। वहां लोकल लोगों के लिए चाहे पानी के लिए

हो, रोड के लिए हो, health के लिए हो, education के लिए हो, primary health centre के विषय पर हो, रोजगार के विषय पर हो, उस mining affected area में, coal blocks के mining blocks में जो affected people हैं, उनके welfare के लिए नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने DMF की स्थापना की है। आज हमने इसमें successfully काम किया है।

इसके बारे में भी कुछ सदस्य पूछ रहे थे। पहली बार हमारी सरकार ने DMF का भी CAG से ठीक तरीके से audit ऑडिट कराने के लिए निर्णय किया है। नरेन्द्र मोदी जी ने यह आदेश दिया है। यह आदेश देने के बाद, DMF के हरेक प्रोजेक्ट का - क्योंकि इसके बड़े प्रोजेक्ट्स भी हैं, DMF द्वारा देश में 4 लाख प्रोजेक्ट्स सैंक्शन किये गये, जिनमें से लगभग 2,39,000 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किये गए हैं। उन 2,39,000 प्रोजेक्ट्स का पूरा ऑडिट करने के लिए हम CAG को देने वाले हैं। इसमें गरीबों के लिए, गांवों के लिए और mining-affected people के लिए जो एक-एक रुपया एकत्रित हुआ है, वह ठीक तरीके से खर्च होना चाहिए, ऐसा हमारा निर्णय है।

वैसे ही ओडिशा में है। अगर DMF का पैसा सबसे ज्यादा कहीं है, तो वह ओडिशा में है, जो गरीब लोगों के लिए, affected people के लिए है। इसलिए ओडिशा में भी भारत सरकार पूरा विकास करेगी, क्योंकि ओडिशा के हर व्यक्ति का विकास करना हमारी जिम्मेदारी है। ओडिशा की जनता ने नरेन्द्र मोदी जी की सरकार के ऊपर विश्वास रख कर आशीर्वाद दिया है, इसीलिए ओडिशा की mining-affected जनता का विकास जरूरी है। चूंकि ओडिशा में हर साल 5,000 करोड़ से ज्यादा पैसा ओडिशा सरकार में आता है, इसलिए गरीब जनता के विकास की, उनके welfare की जिम्मेदारी हम लेते हैं। Mining Ministry ओडिशा में भी पूरा-पूरा काम करेगी और काम करके दिखाती रहेगी।

वैसे ही आज exploration के काम में भी हम अलग-अलग विकास के काम कर रहे हैं। मैं आपके द्वारा सांसद महानुभावों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि Mining Ministry आज जिम्मेदारी के साथ काम कर रही है, accountability के साथ काम कर रही है और मोदी जी के vision के आधार पर reforms ला रही है, इसलिए मैं आप सब लोगों से अनुरोध करता हूँ कि इसका समर्थन करके इस बिल को पास करें।

MESSAGE FROM LOK SABHA

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): धन्यवाद, मंत्री महोदय। Message from Lok Sabha; Secretary-General.

SECRETARY-GENERAL: Sir, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha at its sitting held on the 19th August, 2025 passed the Indian Institutes of Management (Amendment) Bill, 2025. I lay a copy of the said Bill on the Table.

Contents Page

GOVERNMENT BILL- ***Contd.***

The Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2025

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): Now, the question is:

"That the Bill further to amend the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): We shall now take up Clause-by-Clause consideration of the Bill. Hon. Members, Dr. V. Sivadasan, Dr. John Brittas, Shri Sandosh Kumar P, Dr. Fauzia Khan and Shri A.A. Rahim have submitted Amendments to Clauses 2 to 4, Insertion of New Clause 4A, Clause 5, Clause 8 and Clause 9 of the Bill. However, as the Members are not present, the Amendments given by them cannot be moved. Hence, Amendments not moved.

Clauses 2 to 12 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): Shri G. Kishan Reddy to move that the Bill be passed. ...*(Interruptions)*...

DR. M. THAMBIDURAI: Sir, I want a clarification.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): No, no; please sit down. Yes, Mr. Minister.

SHIR G. KISHAN REDDY: Sir, I move:

"That the Bill be passed."

The question was put and the motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Wednesday, the 20th August, 2025.

The House then adjourned at forty-five minutes past four of the clock till eleven of the clock on Wednesday, the 20th August, 2025.

PUBLISHED UNDER RULE 260 OF RULES OF PROCEDURE AND CONDUCT OF BUSINESS IN THE COUNCIL OF STATES (RAJYA SABHA)